खण्ड-447, अंक-2
शुक्रवार, 23 कार्तिक, शक संवत् 1925
(14 नवम्बर, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ङ
प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1
बजट प्रस्तुतीकरण तथा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव न लिये जाने का अनुरोध	1–2
विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन..	2–9
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (जारी)	9
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना	9–10
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	10–27
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	27
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में राप्ती नदी पर सेतु निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का प्रतिकर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	27–28
आगरा जनपद के जगनेर ब्लाक को बुन्देलखण्ड जैसी सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	28
जनपद मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्रान्तर्गत एक व्यापारी की हत्या की सी०बी०सी०आई०डी० जांच तथा मृतक आश्रित को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत 14 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28–29
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त होने से पठन-पाठन प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	29
मेरठ स्थित क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय को गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	29–30
मुजफ्फरनगर के कैराना क्षेत्रान्तर्गत ईसापुर खुरगायन ग्राम में हजारों एकड़ भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	30
अगस्त माह की नियम–301 और नियम–51 की सूचनाओं का सरकार की ओर से कोई उत्तर न आने पर आपत्ति	30
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	30–53
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 [जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ] (पारित)	53–58
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	58–59
प्रदेश में डेंगू और मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य	59–62

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में गृह विभाग द्वारा सब-इन्सपेक्टरों की नियुक्ति गृह जनपद से लगे जनपदों में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	62
जनपद बलिया के थाना उभाव के श्री प्रेम चौहान की हत्या से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	62–64
जनपद आगरा के मुकेश एवं अन्य लोगों की हत्या एवं लूटपाट की एफ०आई०आर० दर्ज न किये जाने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	64–66
शाहजहांपुर नगर में विरसात घाट के बीचोबीच टापू का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	66–67

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य–314

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अजय कुमार, श्री	बागपत	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अजीत कुमार उर्फ राजू, श्री	बदायूं	अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
अताउल रहमान, श्री	बरेली	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	आर०एस० कुशवाहा, श्री	खीरी
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	आशीष यादव, श्री	बदायूं
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	उषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी	ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज	ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री	सुल्तानपुर
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस	ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	कपिलदेव यादव, श्री	मऊ
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी	कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर

कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
पकौड़ी लाल, श्री	मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
परागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पी० के० राय, डा०	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी

अतारांकित प्रश्न

प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा मुराद लारी, श्रीमती	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्त राम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफुलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद वशीर, श्री	आगरा
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बांदा
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द बिन्द, डा०	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी

प्रदेश पुस्तकालय

राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर ,भदोही
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव कक्का, श्री	इटावा
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
शंख लाल मांझी, श्री	सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियावादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव

सत्य मेव जयते

सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा		

नोट :–(1) मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)

(2) प्रोटोकाल नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री (श्री बनवारी सिंह यादव)

(3) पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)

(4) लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती कुसुम राय) एवं

(5) उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा) भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2003 ई०

प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होने विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इससे पहले कि कोई कार्य हो । नियम–311 की एक नोटिस हमने दी है, उसे पहले सुन लिया जाय । प्रदेश की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि ...

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना मिली है और मैंने उसे नियम–56 में परिवर्तित कर दिया है, जब कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की मद आयेगी तब उसको सुन लेंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, तब उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा । आपको केवल एक घोषणा ही करनी है ।

श्री अध्यक्ष–

आज 11.30 बजे बजट प्रस्तुत करने का समय निर्धारित हुआ है । बजट के बाद ले लेंगे । मद सं०–4, 5, 6 और 7 में कुछ नहीं है, मद सं०–8 तुरन्त आ जायेगा, तब सुन लेंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, किसी चीज की अर्जेंसी होती है तब तो उसे लेते ही हैं .....

श्री अध्यक्ष–

विधायी कार्य के पहले आपकी सूचना ले लेंगे ।

बजट प्रस्तुतीकरण तथा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के दिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव न लिये जाने का अनुरोध

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष जी आप हमें भी सुन लें । वैसे तो सदन के बाहर जो कुछ होता है, उसका संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन आपके कक्ष में बैठकर कोई निर्णय हो तो उसका पालन अपेक्षित होता है । उस दिन जब दलीय नेताओं की बैठक आपने बुलायी थी तब यह तय हुआ था कि जिस दिन बजट प्रस्तुत होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, उस दिन न कार्य-स्थगन लिया जायेगा और न ही प्रश्नकाल होगा और इसकी सूचना मैंने अपने दल में दे दी थी । इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आज कार्य-स्थगन न हो क्योंकि इससे हमारे सदस्य वंचित रह जायेंगे । मेरा एक नम्र अनुरोध है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आज कार्य-स्थगन न लिया जाय और बजट तथा उपाध्यक्ष के चुनाव पर समय दिया जाय । हम लोगों से कहा गया था कि ये सूचनाएं नहीं ली जायेंगी और आपके

कक्ष में बैठकर यह निर्णय लिया गया था और यदि इसमें कोई परिवर्तन किया गया था तो उसकी सूचना दी जानी चाहिए थी तो हम भी अपने सदस्यों को बताते ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में कौन सा कार्य होगा, यह कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में तय होता है, मेरे कक्ष में नहीं तय होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा प्रस्ताव है कि आज कार्य-स्थगन न लिया जाय इससे हमारे अधिकारों का हनन होगा ।

श्री अध्यक्ष––

मैंने आपकी बात सुन ली है और आपके प्रस्ताव को नामंजूर किया जाता है ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी आज के दिन की स्थिति से अवगत हैं । आज के दिन की अहमियत यह है कि आज बजट पेश होना है । क्योंकि आज ज्यादा समय नहीं है इसलिए बजट आज पेश होने के बाद उसे जल्द पास भी होना है । परिस्थितियां कभी-कभी बदल जाती हैं । यह सही है कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा और कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय भी हुआ था । प्रश्नकाल बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इससे बहुत सी समस्याओं पर बहस होकर समाधान होता है और इससे प्रदेश के अधिकारी चौकन्ने रहते हैं कि अगर प्रश्नकाल में कोई प्रश्न ऐसा आ गया तो उनके लिए कठिनाई हो सकती है । चूंकि आज बजट पेश होना है और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होना है, अगर कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आज न लिए जायं तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य-सूची में उपाध्यक्ष का निर्वाचन और उसके बाद बजट का प्रस्तुतीकरण है । कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बजट के बाद होगा । बजट तो पहले प्रस्तुत हो ही जाएगा । बजट प्रस्तुत करने में कोई व्यवधान नहीं है ।

विधान सभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नियत किया गया है । नियमानुसार नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2003 के मध्याह्न 12.00 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिए थे । उक्त अवधि के अन्दर जो नामांकन-पत्र प्राप्त हुए हैं उनका विवरण इस प्रकार है – क्रमांक–1 में नाम-निर्देशित अभ्यर्थी डा० वकार अहमद शाह, प्रस्तावक श्री अम्बिका चौधरी, समर्थक श्री अनिल कुमार सिंह यादव, क्रमांक 2 में नाम-निर्देशित अभ्यर्थी डा० वकार अहमद शाह, प्रस्तावक

श्री कल्याण सिंह तथा समर्थक श्री लालजी टण्डन, तीसरे क्रमांक पर नाम-निर्देशित अभ्यर्थी डा० वकार अहमद शाह, प्रस्तावक श्री प्रमोद कुमार तथा समर्थक श्री राम स्वरूप सिंह ।

उक्त नाम-निर्देशन-पत्रों में एक ही नाम का प्रस्ताव है । अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 9(4) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं है और मैं डा० वकार अहमद शाह को उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं ।

(मेजें थपथपायी गयीं)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा के सदस्य डा० वकार अहमद शाह का जन्म 6 जुलाई, 1943 को जिला लखनऊ में हुआ । आपकी आयु लगभग 60 वर्ष है । आप मेडिकल ग्रेजुएट हैं । डा० वकार अहमद शाह वर्ष 1993 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र बहराइच, जिला बहराइच से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् आप वर्ष 1996 तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र बहराइच, जिला बहराइच से समाजवादी पार्टी के टिकट पर पुनः विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए । डा० वकार अहमद शाह वर्ष 1989 में जनता दल के जेल भरो आन्दोलन में एक दिन जिला कारागार बहराइच में बंदी रहे । आप वर्ष 1989-90 में जनता दल के नगर अध्यक्ष रहे हैं । आप विधान सभा की लोक लेखा समिति (1993-94) एवं (2002-03) प्रश्न एवं संदर्भ समिति (1997-98) के सदस्य एवं अधिष्ठाता मण्डल (2002-03) एवं (2003-04) के सदस्य रह चुके हैं । आप वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी विधान मण्डल दल के सचिव रहे तथा सम्प्रति उक्त दल के मुख्य सचेतक हैं । आप दरगाह शरीफ अस्पताल के वर्ष 1975-82 तक अवैतनिक मेडिकल आफिसर तथा आजाद इण्टर कालेज की प्रबंध समिति के वर्ष 1976-84 तक सदस्य रहे हैं । डा० शाह वर्ष 1976 से आई०एम०ए०, बहराइच ब्रान्च के सदस्य वर्ष 1990 से मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसियेशन, बहराइच के सदस्य तथा वर्ष 1994 से आई रिलीफ सोसाइटी सीतापुर (आँख अस्पताल, बहराइच) के सदस्य हैं । आपकी अध्ययन, जनसेवा, सामाजिक कार्य तथा चिकित्सा सेवा में विशेष रुचि है ।

मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के माननीय नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे डा० वकार अहमद शाह को ढूंढ़कर अध्यक्षासन तक लाये ।

(माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेता डा० वकार अहमद शाह के पास गये और उनको अध्यक्षासन तक लाये । तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने डा० वकार अहमद शाह से हाथ मिलाकर बधाई दी तथा अध्यक्षासन छोड़कर डा० वकार अहमद शाह को अध्यक्षासन पर पीठासीन किया) ।

(इस समय 11 बजकर 10 मिनट पर नव निर्वाचित उपाध्यक्ष डा० वकार अहमद शाह पीठासीन हुए ।)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने पर आपको बधाई देते हैं ।

(मेजें थपथपाई गई)

आपको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं । हम सदन के सभी माननीय नेताओं और माननीय सभी सदस्यों का आभर व्यक्त करते हैं । हमारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको इस पद पर आसीन करने के लिए सबका समर्थन रहा और आप निर्विरोध निर्वाचित हुए । आपको भी इस सदन को संचालन करने में सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी क्योंकि पूरे सदन का विश्वास आपके प्रति है । यह आसन लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में सर्वोच्च पद है । इसकी महान परम्पराएं और निर्णयों द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत समय-समय पर किया जाता रहा है । उन महान परम्पराओं को विशेषकर जब इस देश में नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो उन मूल्यों की रक्षा करने के लिए आप अपना संचालन योग्यतापूर्ण करेंगे । जहां तक आपकी योग्यता और सार्वजनिक जीवन का सवाल है यह निर्विवाद है कि आपका व्यवहार सरल है और सबको खुश करने की आपकी क्षमता है । हमें खुशी इस बात की है कि आप डाक्टर भी हैं । इस सदन के लिए और हमारे लिए गौरव की बात है कि एक डाक्टर उपाध्यक्ष पद के लिए आसीन हुआ । हम अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि सदन को चलाने में आपका समर्थन करेंगे । धन्यवाद ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपको उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने पर हार्दिक बधाई अपने व अपने दल की ओर से देता हूं ।

(मेजें थपथपाई गई)

विधान सभा में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब परम्पराओं का पालन होता है । आज एक स्वस्थ परम्परा का पालन हुआ है और निर्विरोध निर्वाचित हुए । कई विधान सभा ऐसी बीत गयी और उपाध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाया । लेकिन आज मुझे खुशी है कि यह कार्य पूरा हुआ, आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं इस पर बहुत बड़े-बड़े लोग बैठते रहे हैं । मान्यवर, यह सदन आपसे यह अपेक्षा करेगा कि सदन की मर्यादा बनाये रखने के लिए, शासन की मर्यादा बनाये रखने के लिए आप हर सम्भव प्रयास करेंगे । आपकी योग्यता पर हमें विश्वास है और आपकी निष्पक्षता पर भी विश्वास करते हैं । आप अपने दायित्व में सफल हों, यह हम सभी कामना करते हैं । आप डाक्टर हैं, कुछ मानसिक बीमारों का इलाज भी आपको करना होगा तो मान्यवर, मेरी शुभ कामना यह भी है कि आप उसमें भी कामयाब हों । धन्यवाद ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, आपके उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुजन समाज पार्टी आपका स्वागत करती है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस तरीके से संसदीय परम्पराओं को तोड़ा गया है और [xxx] से प्रक्रिया अपनाई गयी है उस पर मेरी बहुत आपत्ति है ।

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

मैं आपकी बात का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ पर हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से लोग आसीन होते थे और उपाध्यक्ष के पद पर हमेशा विपक्ष के लोग आसीन होते थे । यद्यपि उपाध्यक्ष बन कर आप विपक्ष की कतार में आये हैं, इसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन जिस प्रकार से उपाध्यक्ष का पद गरिमामयी होता था, उसको क्षीण किया गया, [xxx] और येन-केन-प्रकारेण की प्रक्रिया को ही उजागर करता है । जैसा कि हमने इस सदन में पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी पर बनी है, आज उसके व्यवहार और उसके कार्य-कलाप परिलक्षित होने लगे हैं, और यह स्पष्ट हो गया है कि आज जो अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होना चाहिये था और उपाध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए था, इसमें परिवर्तन हुआ है । परम्परायें टूटी हैं, संसदीय परम्परायें टूटी हैं । मान्यवर, दूसरी चीज आपकी काबिलियत पर हम सभी को नाज है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मौर्या जी, साढ़े ग्यारह बजे बजट पेश होना है, इसलिए समय की कमी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों आपने संसदीय कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, लेकिन मान्यवर, आज जो हुआ इसके पीछे जो सोची समझी राजनीतिक चाल है, उसको भी मैं कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मौर्या जी, समय की कमी है, कृपया आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, महसी, जनपद–बहराइच में है और आप इस जनपद से निर्वाचित होते हैं तीसरी बार आप यहां से इस सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं । वहां के एक वरिष्ठ सदस्य को मंत्री न बनाए जाने से जनता में आक्रोश था ।

(व्यवधान)

उस जनाक्रोश के नाते यह जो हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है । [xxx] बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर भर्त्सना करती है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैंने नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बुला लिया है । आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके निर्देश मानता हूं । [xxx] बहुजन समाज पार्टी घोर विरोध करती है ।

अंत में उपाध्यक्ष पद पर आपके चुने जाने के लिए फिर से बहुजन समाज पार्टी आपका स्वागत करती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आज यहां बजट पेश होना है, विधान परिषद् में भी 11.30 बजे पेश होना है, तो यह संवैधानिक आवश्यकता है । इसलिए कृपया समय का ख्याल रखने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सारी मान्यताएं समाप्त कर दी हैं आज के दिन और मैं यह समझता हूं कि आज इनके यह शब्द और भाषण निन्दनीय हैं और कार्यवाही से निकाले जाने योग्य हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सही बात बुरी लगती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो ऐसी बातें होंगी वह कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कार्यवाही से निकाली जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया सदन की गरिमा के अनुसार ही बात करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो असंसदीय है, सदन की गरिमा के विपरीत है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कृपया बताएं कि कौन सी ऐसी बातें मैंने रखी हैं, जो सदन की गरिमा के विपरीत हैं ।

नोट:– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपको बधाई देता हूं उस गरिमामय पद पर निर्धारित होने के लिए जिसके आप सर्वथा योग्य हैं । पिछले दस सालों से पूरा सदन देख रहा हूं सन् 1993 से आज 2003 चल रहा है, आपने बड़े ही गुरुत्तर पूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और मुझे विश्वास है कि उस पद पर बैठ कर आप उस पद के साथ तथा सदन के साथ न्याय कर सकेंगे तथा आप वहां बैठ कर नये सदस्यों को बोलने का अवसर प्रदान करेंगे ताकि वे लोग ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्यवाही में भाग ले सकें ।

मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की पांच समितियों के अध्यक्ष भी होंगे मुझे पूरा विश्वास है कि जो समितियां मृतप्राय थीं उनमें नई जान आयेगी ।

मान्यवर, मैं नेता सदन को बधाई दूंगा कि उपाध्यक्ष का पद जो अक्सर खाली रखा जाता था, आपने उसको भरने की पहल की है । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहां अध्यक्ष के पद पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी सुशोभित रहे हैं । मान्यवर, जिस पीठ पर आप बैठे हैं उस पर माननीय टण्डन जी बैठते थे और उन्होंने कहा था कि मेरे प्रति एक सदस्य का भी अविश्वास पैदा हो जायेगा तो मैं उस पीठ पर नहीं बैठूँगा । कम से कम आप अवश्य अपने कर्तव्य निर्वहन से सम्पूर्ण सदन का विश्वास अर्जित करियेगा क्योंकि सम्पूर्ण सदन के सदस्य आपके प्रति विश्वास करते हैं । एक बात और बताना चाहूंगा, आदरणीय लालजी टण्डन जी, आपको अब इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा अभी आपने भी स्पष्ट किया है कि मानसिक रूप से जो लोग बीमार होंगे उनका इलाज आप कर देंगे । अपनी शुरूआत नेता विरोधी दल से करेंगे तो मैं आपका आभारी हूंगा । मुझे एक अनुरोध करना है आज उचित होता कि परम्पराओं का निर्वाह होता, हम सिर्फ आपके सम्मान में बात कहते, आने वाले दिनों में आप कैसे सदन चलायें, यह बात कहते, यहां राजनीतिक माहौल नहीं बनता तो शायद सदन की गरिमा बढ़ती । आज जो हुआ उससे सदन की गरिमा में कमीं आयी है । मैं आग्रह करूंगा कि जो कुछ हुआ है उसको एक कटुसत्य के रूप में भूल जायं । मैं सुझाव के रूप में एक बात कहना चाहता हूं आप सुबह 11 बजे आ जाया करिये और जब तक सदन चले तब तक बैठे रहा करिये और किसी को मौका न दीजियेगा ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

मान्यवर, मैं राष्ट्रीय लोक दल की ओर से और अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं । इस गरिमामय पद के लिए जिस पर आप निर्विरोध चुनकर आये हैं मुझे उम्मीद है मैं आपको करीब से जानता हूं । सारा सदन आपके तरीके से, जो आप परम्परायें अपनायेंगे उससे सदन को सन्तुष्ट करेंगे । मैं नेता विरोधी दल और नेता सदन को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने सही परम्परा अपनाई और माननीय नेता बीएसपी से गुजारिश करूंगा अगर उन्हें परेशानी थी कि निर्विरोध हो गये तो वह कोई कंडिडेट खड़ा कर देते उसके बाद कोई बात कहते, जो उन्हें करना चाहिए था वह नहीं किया ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं । पूरे सदन ने आज आपको सर्वसम्मति से इस आसन पर आसीन किया है । आसन बड़ा गरिमामय है जिस पर स्व० माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन बैठ चुके हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कितने निष्पक्ष थे । मुझे विश्वास है कि उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपनी पूरी निष्पक्षता का परिचय देंगे । चूंकि पूरे सदन ने आपको निर्वाचित घोषित किया है तो सदन में सबके अधिकारों की रक्षा आप करेंगे मुझे पूरा विश्वास है । आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, आप संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन का संचालन सुचारु रूप से करेंगे । मैं दूसरी बधाई माननीय मुलायम सिंह जी को देना चाहता हूं जिन्होंने आपके नाम का चयन किया इस पद के लिए और इसी के साथ मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नेता विपक्ष टण्डन जी को कि उन्होंने भी उस प्रस्ताव के समर्थन में हस्ताक्षर किया है । मुझे विश्वास है आपकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता पर । आपके द्वारा चाहे सत्तापक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का सदस्य हो, सबके अधिकारों का संरक्षण होगा । इस आसन पर बैठने के बाद न तो आप सत्तापक्ष के रह गये और न तो विपक्ष के रह गये आप एक निष्पक्ष कुर्सी पर निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में विराजमान हुए हैं और हर काम निष्पक्षता के साथ करेंगे ।

मुझे एक बात कष्ट दे गयी, आज का अवसर था कि हम लोग आपको बधाई देते, जो आपका निर्वाचन हुआ है उसके लिए बधाइयां देते । मुझे कष्ट इस बात का है कि आज के दिन कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक संकीर्ण राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की, वह नहीं करते तो अच्छा होता । वास्तव में अगर उन्हें आपके इस कुर्सी पर आसीन होने में आपत्ति थी तो वह अपना कोई प्रत्याशी खड़ा कर देते तो कहने का मौका नहीं मिलता साजिश हुई है, षड़यन्त्र हुआ है । न यहां साजिश काम कर रहा है और न षड़यन्त्र काम कर रहा है । मैं आपको बधाई देना चाहता हूं इसके साथ ही माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और जो अन्य दल के नेता हैं, माननीय सदस्य हैं, उनको भी बधाई देता हूं । बसपा के नेता माननीय मौर्या जी हैं, उनको भी बधाई देता हूं । आखिर में उन्होंने जो बात कही, वह पहले कहनी चाहिए थी और जो उन्होंने पहले कहा, इतना अंश आज न होता, फिर कभी देखा जाता तो अच्छा था । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

सम्मानित नेता सदन, सम्मानित नेता विरोधी दल, सम्मानित नेता बहुजन समाज पार्टी, सम्मानित नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सम्मानित नेता राष्ट्रीय लोकदल, सम्मानित नेता राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी, सम्मानित नेता भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), सम्मानित नेता उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक कांग्रेस, सम्मानित नेता अखिल भारतीय कांग्रेस, सम्मानित नेता अखिल भारतीय हिन्दू महासभा और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, मैं सम्पूर्ण सदन के सभी सम्मानित सदस्यों, सभी दलों को सम्मानित नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जीवन के इस मोड़ पर आपने इतना सम्मान दिया है और इस ऐतिहासिक तथा भारत के सबसे बड़े सदन के उपाध्यक्ष के पद का भार मुझे सौंपा है, आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं । यहां जो शब्द मेरी प्रशंसा में कहे गये हैं, मैं अपने को उसके योग्य नहीं पाता हूं, मैं इस सम्मानित सदन में सभी माननीय नेताओं और सदस्यों को यह

आश्वासन देता हूं कि मेरा सदैव यह प्रयास रहेगा कि जो भावनायें आज इस सदन में मेरे प्रति व्यक्त की गयी हैं, मैं उन भावनाओं का समादर करते हुए संसदीय परम्पराओं, संसदीय गरिमा और संसदीय मर्यादा के प्रति जागरूक रहते हुए निष्पक्ष भाव से इस पद के गुरुत्तर दायित्व का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा । मेरा यह भी प्रयास होगा कि सदन में दोनों ही पक्षों के सदस्यों का पूर्ण सम्मान हो और उन्हें अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो ।

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने इस अवसर पर मुझे बधाई देते हुए मेरा मार्गदर्शन किया है । साथ ही मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि वह मुझे सदन के संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें क्योंकि सदन का संचालन एक दुरूह और कठिन कार्य होता है जिसको बिना सामूहिक प्रयास एवं सहयोग के अंजाम देना कठिन हो जाता है ।

अन्त में मैं पुनः सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(मद संख्या–2 पुकारे जाने पर)

(इस समय 11 बजकर 29 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री लालजी टण्डन–

मा० मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय के सम्मान में जो बातें कही गयीं हैं, वह तो ठीक हैं, लेकिन आज की इस बधाई के अलावा जो कुछ कहा गया है, उसको आप स्वयं देख लें ।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 का बजट, इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों को एक सूचना देनी है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है । माननीय सदस्यों को वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरित किये जाने हेतु की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :–

''हां'' सभाकक्ष में समस्त महिला सदस्य तथा बिजनौर, ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेदकर नगर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, चित्रकूट, आजमगढ़ जिलों के समस्त सदस्यगण ।

और ''नहीं'' सभाकक्ष में नाम-निर्देशित सदस्य तथा शेष अन्य जिलों के समस्त माननीय सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें ।

(बजट भाषण की प्रतियां बांट दी जायं)

(प्रतियां बांटी गयीं)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, यह आपकी जानकारी में है कि हमने किन परिस्थितियों में सरकार बनायी है । प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी, जनता का विश्वास उठ रहा था तथा जनप्रतिनिधि अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थे । अधिकारी वर्ग दिशाहीन और तिष्ठाविहीन होकर प्रशासन पर अपनी पकड़ खोता जा रहा था ।

मान्यवर, अत्यन्त चिन्तनीय स्थिति में मैं यह बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । सामाजिक रूप से विघटित, प्रशासनिक रूप से निस्क्रिय एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर ढांचे को सुधारने का दायित्व हमें सम्भालना पड़ा है ।

लगभग 16 महीनों तक इस प्रदेश की जनता ने प्रदेश में प्रजातन्त्र पर कुठाराघात का दुखदायी नजारा देखा है । चुन-चुन करके उन सभी लोकतान्त्रिक गतिविधियों को कुचलने का प्रयास किया गया जिनके द्वारा निरंकुश शासन के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस किया गया । प्रजातान्त्रिक एवं शान्तिपूर्ण तरीके से अपने विरोध को प्रदर्शित करने पर अंकुश लगाने का असफल प्रयास किया गया । सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों को इस प्रकार से क्रियान्वित किया गया कि समाज जुड़ने के बजाय कई टुकड़ों में बंटता चला गया । सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाने के बजाय समाज के विभिन्न वर्गों में एक-दूसरे के प्रति घृणा एवं द्वेष का भाव पैदा किया गया । ग्राम्य विकास के कार्यक्रमों को इस प्रकार से लागू किया गया कि समाज का एक वर्ग अपने को उपेक्षित एवं अपमानित महसूस करे ।

शासकीय धन के दुरुपयोग के पूर्व के सभी कीर्तिमान तोड़ दिये गये और इसका उपयोग इस प्रकार से किया गया, जैसे कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा न होकर किसी की निजी सम्पत्ति हो । भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़ने की बात तो दूर रही, प्रशासन के समस्त क्रिया-कलाप भ्रष्टाचार की चपेट में आ गये । प्रशासकीय अधिकारियों का मनोबल कुचल दिया गया और उनसे इस प्रकार से व्यवहार किया गया कि मानो वह किसी विधिक व्यवस्था के अंग न होकर निजी सेवक हों ।

आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, वह अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण हैं । हमें न केवल सामाजिक सद्भाव को बनाये रखना है बल्कि लोकतान्त्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित कर पुनर्स्थापित भी करना है ।

मान्यवर, विगत ढाई महीनों में राज्य के समस्त वर्गों ने यह महसूस किया है कि हमारी सरकार दमनकारी एवं निरंकुश प्रशासन को समाप्त कर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया एवं कानून के राज में विश्वास रखती है और यह बिल्कुल खुली हुई सरकार है, जिसमें पारदर्शिता है, संवेदनशीलता है और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की क्षमता है ।

मान्यवर, हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश बनाना है । हमें एक ऐसा सम्पन्न एवं शक्तिशाली प्रदेश बनाना है जिसमें सभी वर्गों एवं समुदायों को उनका हक एवं आवश्यक सुविधायें प्राप्त हों, जाति एवं धर्म के आधार पर समाज न बंटा हो बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच घृणा और द्वेष के स्थान पर स्नेह एवं सम्मान का भाव हो । हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे प्रदेश में आतंकवादी एवं दमनकारी शक्तियों का विनाश हो एवं कानून का राज हो । विकास की गति त्वरित एवं निर्वाद हो जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो । हमारा लक्ष्य गरीब एवं असहाय लोगों के मात्र आंसू पोछने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कराहट लाना भी है । हमें प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे को फिर से सुदृढ़ करना है और ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रशासनिक मनोबल वापस आये, प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोत्तरी हो और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में ऐसा सुधार हो कि प्रदेश के विकास में वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता रोड़ा न बने ।

मान्यवर, हमारी मान्यता है कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक हैं । प्रदेश का औद्योगीकरण कृषि के विकास के बिना सम्भव नहीं है । वहीं दूसरी ओर यदि औद्योगीकरण में अपेक्षित गति नहीं आती है तो कृषि का विकास भी अवरुद्ध हो जायेगा । प्रगतिशील और उन्नत कृषि अब उद्योग का दर्जा ले रही है । जहां एक ओर कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी हमारी सरकार ने 500 करोड़ रुपये की धनराशि गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी है, वहीं दूसरी ओर मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण एवं अधिक से अधिक पूंजी निवेश हेतु विशेष प्रयास करने के लिये "उत्तर प्रदेश विकास परिषद्" का गठन किया गया है । यह परिषद् न केवल प्रदेश में निवेश का अनुकूल वातावरण तैयार करने में सरकार की सहायता करेगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि सुधारने में भी सहयोग देगी ।

मुझे यह कहते हुये गर्व हो रहा है कि प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब उद्योग, मीडिया, वित्तीय व्यवस्था एवं सिनेमा जगत की महान हस्तियाँ प्रदेश के विकास की गति बढ़ाने के लिये आगे आयी हैं । हमारी सरकार का विश्वास है कि प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण एवं निजी पूँजी निवेश से रोजगार के अतिरिक्त अवसर हमारे नौजवानों को प्राप्त हो सकेंगे । उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के द्वारा जिस तत्परता, निष्ठा एवं परिश्रम से अपना कार्य सम्पादित किया जा रहा है उसके लिये परिषद् धन्यवाद की पात्र है ।

मान्यवर, इस भगीरथ प्रयास में हमारी सरकार को माननीय सदन के भरपूर सहयोग एवं योगदान की आकांक्षा है । मुझे विश्वास है कि हमारी आकांक्षा के अनुरूप सदन के सभी माननीय सदस्य और उनके माध्यम से राज्य के समस्त वर्गों के लोग हमारे प्रयास में हमारी सहायता कन्धे से कन्धा मिलाकर करेंगे, जिससे कि प्रदेश के विकास में आ रही सारी बाधायें दूर हो सकेंगी ।

मान्यवर, आपको विदित है कि पिछली सरकार ने दिनांक 04 मार्च, 2003 को अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्तीय वर्ष 2003-2004 के प्रथम छः माह हेतु लेखानुदान प्राप्त किया था । तत्पश्चात् हमारी सरकार ने दिनांक 17 सितम्बर, 2003 को पुनः अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया तथा माह अक्टूबर, 2003 से दिसम्बर, 2003 तक की अवधि के लिये लेखानुदान प्राप्त किया । अतः प्रस्तुत बजट में वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष तीन माहों की सीमित अवधि को देखते हुये ही बजट प्रस्ताव सम्मिलित किये

गये हैं । इस बजट में नई मांगों को सम्मिलित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को वरीयता प्रदान करते हुये संसाधनों का आवंटन किया जाय । नई मांगों का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के लिए है ।

माननीय अध्यक्ष जी,

वर्तमान वित्तीय वर्ष का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते हमय मैंने कहा था कि हमारी सरकार द्वारा कृषि, सिंचाई, उद्योग-व्यापार, विद्युत, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में सुधार के साथ-साथ रोजगार के अवसरों के सृजन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । मैंने यह भी कहा था कि सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाकर एवं समस्त संसाधनों को मितव्ययितापूर्वक एकजुट करके समाज के सभी वर्गों के उत्थान का प्रयास किया जायेगा जिसमें समाज के पिछड़े व निर्बल वर्ग विशेष केन्द्र बिन्दु होंगे ।

सर्वकल्याण की इसी विचारधारा के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करते ही जनकल्याण सम्बन्धी कई कदम उठाये गये और कई योजनायें प्रारम्भ की गई हैं, जिनका उल्लेख मैं आगे करूँगा ।

अब मैं राज्य सरकार की कतिपय प्राथमिकताओं, उपलब्धियों एवं नये कार्यक्रमों का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राथमिकतायें, उपलब्धियाँ एवं नये कार्यक्रम

प्रदेश में शान्ति व्यवस्था तथा सर्वांगीण विकास का वातावरण तैयार करना

महोदय, आप अवगत हैं कि शिवसेना एवं विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2003 तथा 17 अक्टूबर, 2003 को अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में दर्शन एवं संकल्प हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये थे । अयोध्या स्थित श्री राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद परिसर की यथा-स्थिति बनाये रखने के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये हैं । उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा परिसर की यथास्थिति बनाये रखने तथा कानून व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने हेतु, सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाये गये, जिससे राज्य सरकार द्वारा धर्म निरपेक्ष मूल्यों को बनाये रखते हुये इस अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने में सफलता प्राप्त की गयी । इसमें प्रदेश सरकार को भारत सरकार, मीडिया, माननीय सदस्यों एवं जनता के सभी वर्गों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है इसके लिये मैं इन सबका आभारी हूँ एवं सभी को बधाई देता हूँ ।

विकास कार्यक्रमों का लाभ समाज के दुर्बल वर्ग को उपलब्ध कराना

प्रदेश में विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं विशेषकर सड़क, बिजली तथा सिंचाई का विकास

विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से "त्वरित आर्थिक विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है । इस योजना में सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, सिंचाई आदि क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । इस योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण एवं तहसील क्षेत्रों में 14 घन्टे बिजली की आपूर्ति कराये जाने का निर्णय लिया गया महोदय यह वर्ष आदरणीय चौधरी चरण सिंह का जन्म शताब्दी वर्ष है । उनके सम्मान में किसान भाइ की अपेक्षाओं के अनुरुप नहर प्रणालियों से बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु "चौधरी चर सिंह सिंचाई विकास योजना" प्रारम्भ की जा रही है ।

ग्राम्य विकास हेतु कृषि तथा किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य उपलब्ध कराया जाना

गन्ना किसानों के हितों के संरक्षण के लिये उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों को निजी क्षे में पट्टे पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इससे प्रदेश में गन्ना पेराई की क्षमता में वृद्धि होगी ।

60 वर्ष से ऊपर के वृद्धों/किसानों को वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत रुपये 12 प्रतिमाह पेंशन में वृद्धि करके रुपये 150 प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का निर्णय लिया गया है । इस योज के अन्तर्गत 12.62 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन में सुधार के लिये ग्रामीण स्वच्छता, आवासों में शौचालयों की व्यवस्था

मानव संसाधन विकास हेतु महिलाओं, अल्पसंख्यकों सहित समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना ।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "कन्या विद्या धन" नामक योजना प्रारम्भ जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वा परिवारों से कक्षा–8 उत्तीर्ण औसतन 1500 छात्राओं का चयन किया जायेगा । इन छात्राओं में कक्षा–12 उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरुप 20,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वा एकमुश्त दी जायेगी । इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय अनुमानित है ।

उच्च शिक्षा सुलभ कराने के लिए शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/विद्यालयों में छा की बढ़ी हुई फीस कम की गयी है । राज्य विश्वविद्यालयों में बढ़ी हुई फीस कम करने का निर्णय लि गया है ।

अल्पसंख्यक छात्र और छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए आवासीय कोचि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोएडा में वोकेशनल एवं प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित कि जायेगा । इस हेतु बजट में 1.11 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

समाज के निर्धन वर्ग को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से सरकारी अस्पतालों बाह्यरोगियों के पर्चे का मूल्य घटाकर एक रुपया कर दिय. गया तथा अन्तरंग रोगियों को निःशुल्क शै उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया । इसके साथ-साथ औषधियों के लिये 40 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राविधान किया गया है ।

कुशल, संवेदनशील एवं मानवीय मूल्यों के प्रति जागरुक प्रशासनतंत्र

महोदय, जिस समय हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया, उस समय प्रदेश का अधिकांश बाढ़ से प्रभावित था । अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य को हमारी सर द्वारा विशेष प्राथमिकता दी गई । बाढ़ राहत कार्यों के लिये लगभग 40 करोड़ रुपये का अनुदान वित्त

किया गया । किसानों से सरकारी देयों की वसूली पर रोक लगाई गई । प्रदेश भर में 1576 राहत केन्द्रों की स्थापना की गई तथा बाढ़ क्षेत्रों में चिकित्सक दलों एवं डाक्टरों की विशेष तैनाती की गई । राहत कार्यों से प्रदेश बाढ़ की स्थिति से अतिशीघ्र उबर सका तथा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासन का कार्य त्वरित गति से किया जा सका ।

कठोर वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय सुधार ।

हमारा यह प्रयास है कि फिजूलखर्ची पर रोक लगे तथा अनुत्पादक व्यय में कटौती की जाय ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति, जिसका उल्लेख मैं आगे और विस्तार से करुँगा, को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में कठोर वित्तीय अनुशासन लागू किया जायेगा । इस प्रयोजन हेतु ''उत्तर प्रदेश वित्तीय उत्तरदायिता एवं बजट प्रबन्धन'' विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । इस सम्मानित सदन को यह जान कर हर्ष होगा कि उत्तर प्रदेश उन कतिपय राज्यों में से एक होगा जिन्होंने भारत सरकार के साथ-साथ इस प्रकार का सकारात्मक कदम उठाने की पहल की है ।

राज्य सरकार द्वारा मंत्रि परिषद् की एक संसाधन उप समिति का गठन किया गया है । यह उप समिति प्रदेश में राजस्व संवर्द्धन हेतु आवश्यक उपायों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देगी ।

मान्यवर, विभिन्न विभागों के बजट प्रस्तावों के मुख्य विन्दुओं का उल्लेख करने से पूर्व मैं इस सरकार को विरासत में मिली प्रदेश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की वित्तीय स्थिति पर चर्चा करना चाहूँगा ।

आर्थिक परिदृश्य

आप अवगत हैं कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के विभिन्न मानदण्डों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है । वर्ष 1999-2000 के आँकड़ों के आधार पर राज्य में 31 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे जो देश के औसत 26 प्रतिशत से अधिक है ।

देश के क्षेत्रफल में 7 प्रतिशत तथा जनसंख्या में 16 प्रतिशत अंश वाले इस प्रदेश का राष्ट्रीय आय में योगदान वर्ष 2001-2002 में केवल 9 प्रतिशत रहा ।

वित्तीय स्थिति

यदि हम पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों पर ध्यान दें तो यह स्पष्टतया दिखाई पड़ता है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे के अनुपातों में लगातार वृद्धि हो रही है । राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 3.5 प्रतिशत था जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों में 4.1 प्रतिशत है । इसी प्रकार राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है । राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 40 प्रतिशत (2000-2001) से बढ़कर 48 प्रतिशत (2002-2003) हो गयी है । यह आँकड़े राज्य की वित्तीय स्थिति में आ रही गिरावट एवं गम्भीर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं ।

राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 88 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा ब्याज पर भुगतान में व्यय हो रहा है । इन मदों पर सम्मिलित व्यय राज्य के स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त

राजस्व का 165 प्रतिशत से 185 प्रतिशत के मध्य है और कुल राजस्व व्यय का लगभग 70 प्रतिशत है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि राज्य का स्वयं का राजस्व वेतन, पेंशन तथा ब्याज जैसे वचनबद्ध व्ययों को ही पूर्ण करने के लिये अपर्याप्त है।

राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक है। यह अनुपात यह प्रदर्शित करता है कि ऋण का एक बड़ा भाग राजस्व व्यय के लिये व्यावर्तित हो रहा है जब कि आदर्श स्थितियों में ऋण का अधिकतम उपयोग पूँजी निर्माण के लिये होना चाहिये।

एक अत्यन्त चिन्ताजनक एवं गम्भीर स्थिति यह उभरकर आ रही है कि वर्ष के दौरान प्राप्त कुल लोक ऋण से पुराने ऋण की देयताओं को भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्याज की मद में वृद्धि की दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर से अधिक है। यह दोनों ही स्थितियाँ इस बात की द्योतक हैं कि राज्य ऋण के भंवर जाल में फंस चुका है।

उपरोक्त संकेतक यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति वर्तमान में गम्भीर रूप से असंतुलित है। अतः हमें जहां एक ओर संसाधनों में वृद्धि करनी होगी वहीं दूसरी ओर अपने राजस्व व्यय, विशेषकर अनुत्पादक व्यय में कमी करनी होगी। इस सम्बन्ध में कुछ पहल की गई है परन्तु इस दिशा में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिये मैं सम्मानित सदन के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ।

वार्षिक योजना (2003-2004)

प्रदेश की वार्षिक योजना, 2003-2004 के लिए योजना आयोग की सहमति से कोर प्लान के रूप में 7728 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इस वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्र, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

ग्रामीण विकास को वरीयता प्रदान करते हुए कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं, ग्राम्य विकास, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए 35.3 प्रतिशत का परिव्यय रखा गया है।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश की वार्षिक योजना के कुल परिव्यय में से 21.3 प्रतिशत का परिव्यय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब-प्लान हेतु रखा गया है।

राज्य की विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र को वरीयता दी गई है। समग्र रूप में वार्षिक योजना का लगभग 70 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।

शान्ति व्यवस्था

अपराध पर नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में कई ठोस कदम उठाये गये हैं, जिसमें पुलिस बल का आधुनिकीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिये उनकी मूलभूत आवश्यकताओं व कल्याण कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गयी है। इसके लिये सुख-सुविधा निधि की एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर दो करोड़ रुपये, पुलिस कल्याण निधि एक करोड़ रुपये से एक करोड़ पचास लाख रुपये तथा शिक्षा निधि में दो लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये किया गया है।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के राजस्व प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जो कुल प्राप्ति का लगभग 50 प्रतिशत है ।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व हेतु 14,539.05 करोड़ रुपये की प्राप्ति के अनुमान लिये गये हैं , जो वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं ।

इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रणनीति तैयार की गई है जिसमें नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण, बकायों की वसूली, करापवंचन को रोकने के लिये प्रवर्तन एवं विशेष अनुसंधान शाखा का सुदृढ़ीकरण, विभागीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन तंत्र के मध्य प्रभावोत्पादक सहयोग, कम्प्यूटरीकरण एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण मुख्य हैं ।

करेतर राजस्व के अन्तर्गत 1,747.89 करोड़ रुपये के अनुमान लिये गये हैं जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के सापेक्ष 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं ।

अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों एवं प्रस्तावों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा ।

कृषि एवं अन्य सम्बद्ध सेवायें

वर्ष 2003-2004 में कृषि उत्पादन में विकास दर 5.1 प्रतिशत प्रति वर्ष बनाये रखते हुए 478 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन तथा 14.60 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य रखे गये हैं ।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में ''फार्म मैनेजमेंट काउन्सिल'' का गठन बीज विकास निगम की स्थापना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम् (मेरठ) में बासमती फाउन्डेशन की स्थापना, बासमती चावल के निर्यात के लिए एग्री एक्स्पोर्ट जोन की स्थापना, प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु बीज ग्राम योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में संकर धान बीज उत्पादन योजना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में ''आन फार्म वाटर मैनेजमेंट योजना'' जैसी योजनायें कार्यान्वित की जा रही है ।

कृषि उत्पादकता में सततता लाने हेतु उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त ''इन्टीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेन्ट'' तथा ''इन्टीग्रेटेड प्लान्ट न्यूट्रिएन्ट मैनेजमेन्ट'' जैसी विधियों को बढ़वा दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कृषि निवेशों तथा आधुनिक प्रोद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''किसान क्रेडिट कार्ड'' जैसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

कृषि विभाग के अन्तर्गत ऊसर सुधार के कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिसमें बीहड़ स्थिरीकरण योजना, सोन एवं गोमती भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

कृषि में आधुनिक तकनीकों को विकसित करने तथा तकनीको को खेतों तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य में कृषि शिक्षा को और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत डा० भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रोद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में नये पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने, अनुरक्षण आदि कार्यों के लिये 6.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की आय स्थिर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है ।

कृषि विपणन को महत्ता देते हुये मण्डी स्थलों के विकास एवं उन्हें सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही मण्डी समितियों द्वारा सम्पादित की जा रही है । 4 जनपदों में किसान मण्डी की नई योजना चलाई गई है एवं 15 मण्डी स्थलों के निर्माण की योजना इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम को कृषि निवेशों के लिए कर्ज एवं अंशपूंजी, चारा बैंक की स्थापना जैसी नई योजनायें इस बजट में सम्मिलित की गयी हैं ।

कृषकों की आय के अतिरिक्त स्त्रोत विकसित करने के लिए वर्ष 2003-2004 में 1400 करोड़ रुपये का फसली ऋण तथा 800 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन् ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्राम्य विकास

नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विश्व के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस बात पर बल दिया है कि आर्थिक विकास में मानवीयता का गुण भी समाहित होना चाहिये और इसके लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से निर्बल वर्ग का सशक्तीकरण भी होना आवश्यक है । हमारे ग्राम विकास के कार्यक्रमों में इस मानवीयता का परिलक्षण होता है ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के 2.50 लाख व्यक्तियों को इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

केन्द्र सरकार के सहयोग से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 1.535 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है ।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 4500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 2 लाख से अधिक आवासों तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 19,920 आवासों का निर्माण कराया जायेगा । प्रत्येक इन्दिरा आवास में शौचालय के निर्माण की भी व्यवस्था की गई है ।

त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना के अर्न्तगत 15,000 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा 495 पाइप लाइन योजनायें प्रस्तावित हैं । इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 32,800 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

पंचायती राज

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में प्रदेश के समस्त जनपदों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 22.50 करोड़ रुपये का प्राविधान है । पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 10.98 करोड़ रुपये का प्राविधान भी प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त विशेष घटक योजना के अन्तर्गत नाली खड़ंन्जा निर्माण हेतु 61.02 करोड़ रुपये का प्राविधान है, जिसमें अम्बेडकर गाँवों व उनके मजरों में शौचालयों तथा नाली खड़ण्जा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ना उत्पादन का विशेष योगदान है तथा गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति से इसका सीधा सम्बन्ध हैं ।

हमारी सरकार गन्ना किसानों तथा चीनी उद्योग के हित संरक्षण तथा समृद्धि के लिये कृत संकल्प है । मुझे माननीय सदन को यह अवगत कराते हुये गर्व का अनुभव हो रहा है कि 29 अगस्त, 2003 से अब तक गन्ना किसानों को उनके बकाया गन्ना मूल्य का 990 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया है । इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान स्वयं में एक कीर्तिमान है ।

वर्तमान पेराई सत्र में प्रदेश की चीनी मिलें शीघ्र प्रारम्भ होकर किसानों का अधिक से अधिक गन्ना पेराई कर सकें, इसके लिये गन्ना आपूर्ति की नीति समय से घोषित की गयी है ।

हमारी सरकार की यह नीति होगी कि गन्ने के सह-उत्पादों पर आधारित उद्योग जैसे खोई पर आधारित बिजली, कागज, शीरे पर आधारित इथनॉल तथा प्रेसमड पर आधारित बायो-फर्टिलाईजर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाये । इससे जहाँ प्रदेश की चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहीं प्रदेश के गन्ना किसानों को भी अधिक लाभकारी गन्ना मूल्य शीघ्रता से प्राप्त हो सकेगा ।

सड़क एवं यातायात एवं यातायात

प्रदेश के समस्त ग्रामों को क्रमबद्ध ढंग से सर्व ऋतु मार्गों से जोड़ना हमारी प्रतिबद्धता है ।

विश्व बैंक की सहायता से लगभग 3,000 करोड़ रुपये लागत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों की अवधि में लगभग 2,574 किलोमीटर मार्गों के वृहद् रख-रखाव एवं 953 किलोमीटर मार्गों के उच्चीकरण का कार्य तथा चार बाईपास एवं पांच बड़े पुलों का निर्माण किया जायेगा ।

सड़कों के रख-रखाव के लिये राज्य सड़क निधि में विगत वर्ष के सापेक्ष लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस बजट में की गई है । इसके साथ-साथ केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से भी 85 करोड़ रुपये की धनराशि मरम्मत के कार्यों के लिये प्राप्त कर मुख्य सड़कों के रख-रखाव का लक्ष्य है ।

सड़क यातायात सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अपने बस बेड़े में 1,000 नई बसों का क्रय किये जाने का प्रस्ताव है । परिवहन निगम द्वारा बस उपयोगिता को बढ़ा कर 284 किलोमीटर प्रति बस प्रतिदिन तथा आकुपेन्सी अनुपात 61 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है ।

सिंचाई

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 10 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन तथा 4 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना प्रस्तावित है । इस वित्तीय वर्ष में "हिंडन कृष्णी दोआब की खरीफ नहरों" की परियोजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

जल संचयी योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष 154 चेक डैम के निर्माण कार्य पूर्ण होने की आशा है तथा प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं नालों पर सर्वेक्षण कराकर लगभग 475 चेक डैम बनाने की योजना विचाराधीन है ।

''वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग'' परियोजना, जिसकी कुल लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपये है तथा इसे चार चरणों में 12-15 वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाना है, के लिए वर्ष 2003-2004 में 222.80 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

वृहद् एवं मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 999 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है ।

ऊर्जा

राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति एवं गुणवत्ता में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है । इस सम्बन्ध में जहाँ वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता से अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन सुनिश्चित कराया जायेगा, वहीं ओवरा एवं पारीछा ताप संयंत्र की क्षमता वृद्धि भी की जायेगी । इसके अतिरिक्त आनपारा सी परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा ।

भारत सरकार द्वारा संचालित त्वरित विद्युत सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर शहरों में 456 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की जायेगी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शहरों में विद्युत सुधार हेतु 300 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की जायेगी ।

विद्युत की चोरी रोकने हेतु कठोर कदम उठाये जायेंगे तथा अभियान चला कर विद्युत राजस्व की वसूली भी बढ़ायी जायेगी ।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को बढ़ाया जायेगा ।

वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वांचल/पश्चिमांचल पैकेज के अन्तर्गत 425 सोलर पम्पों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है ।

औद्योगिक विकास

प्रदेश के तीव्रगामी औद्योगिक विकास, पूँजी निवेश के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन, विशिष्ट उद्योगों की स्थापना तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया है ;

हमने संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत कतिपय निबंधन और शर्तों के अधीन प्रदेश में स्थापित होने वाली नई मेगा इकाइयों को ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ।

निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु चार विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रेटर-नोएडा, कानपुर, भदोही एवं मुरादाबाद में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । इन आर्थिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवस्थापना सुविधायें विकसित की जायेगी ।

प्रदेश में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2003-2004 में 30,000 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 45,900 शिक्षित युवकों/युवतियों को संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त कराते हुये स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है ।

नगर विकास एवं नगरीय रोजगार

त्वरित नागर पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 60 नगरों को मानकों के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है । इस मद में 49.36 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

नगरीय पेयजल कार्यक्रमों को जिला योजना में सम्मिलित करते हुये नगरीय पेयजल योजनाओं के लिये 11.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आवास

लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद एवं इलाहाबाद सहित कुल 23 नगरों की महायोजनायें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा कुल 80 हजार आवासीय भवन/भूखण्ड विकसित किये जायेंगे जिसमें से 65 प्रतिशत भवन/भूखण्ड आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिये आरक्षित किये गये हैं ।

सबके लिये आवास उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत आवास विकास परिषद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 25 नगर एवं प्रदेश में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय के 25 अन्य नगर चयनित किये गये हैं ।

प्रदेश में "हाई-टेक" टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु एक नई नीति तैयार की गई है ।

सबके लिये आवास की परिकल्पना साकार करने के लिये बहुमंजिले भवनों का निर्माण सुनियोजित रूप से प्रोत्साहित करने के लिये उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अध्यादेश, 2003 प्रख्यापित किया गया है ।

[illegible]

महान समाजवादी विचारक डा० राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि मुफ्त, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिये नितान्त आवश्यक है ।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिये पूरे प्रदेश में डेढ़ किलोमीटर की परिधि तथा 300 की आबादी के मानक के आधार पर एक प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा ।

परिषदीय विद्यालयों के लगभग 21 हजार सहायक अध्यापकों के पदों को भरा जायेगा ।

(मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट भाषण पढ़े जाने के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना एक प्रभावशाली योजना थी । गरीब लोगों को इससे वंचित किया गया है । इस बजट में इन वर्ग के लोगों के विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं है, इसलिए मैं और मेरा दल इस बजट भाषण के विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गए)

माध्यमिक शिक्षा

दिनांक 14 अक्टूबर, 1986 से पूर्व के मान्यता प्राप्त 58 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने का प्रस्ताव है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं साज-सज्जा के लिए इस बजट में 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है । त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भी इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

उच्च शिक्षा

राज्य के महाविद्यालयों के भवन निर्माण एवं साज-सज्जा हेतु 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत भी इस हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन हेतु डिग्री सेक्टर में भारत सरकार द्वारा संचालित एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम नामक एक महत्वकांक्षी परियोजना के लिये अन्य पाँच राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश को भी चयनित किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत आगामी माँच वर्षों में प्रदेश की अभियंत्रण संस्थाओं हेतु 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है । इस बजट में इस हेतु 60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

युवा कल्याण

भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम के शब्दों से हमें प्रेरणा लेनी है जिन्होंने कहा है कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित राष्ट्र होना है । हमारा यह संकल्प है कि इस राष्ट्रीय प्रयास में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहे, जिसमें युवक समाज की विशेष भागीदारी रहेगी ।

राज्य सरकार द्वारा युवाओं के शारीरिक सम्वर्धन, बौद्धिक विकास तथा सांस्कृतिक चेतना तथ स्वावलम्बी बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । गांवों में छिपी हुयी प्रतिभाओं को आ लाने के लिये भी हम कृत-संकल्प है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा सुदृढ़ करने के लिये 30 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापन का लक्ष्य है ।

इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नयी औषधि नीति लागू कर दी गयी है, जिससे अवैधानिक औषधि निर्माताओं पर प्रभावी रूप से प्रतिबन्ध लगेगा ।

चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की नई योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

समाज कल्याण

हमारी सरकार समाज की विषमताओं को दूर कर समतापरक समाज के विकास के लिये कृत संकल्प है । इस दिशा में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता है ।

अनुसूचित जाति के गरीब छात्र प्रवेश से वंचित न रह जाय, इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि प्रदेश की तकनीकी शिक्षा संस्थायें छात्रों से सीधे प्रवेश शुल्क न लेकर समाज कल्याण विभाग से प्रवेश शुल्क प्राप्त करेंगी ।

छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 92 लाख विद्यार्थियों को 428 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी जायेगी ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जायेगा । इस हेतु 125 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 22,000 परिवारों को सहायता दिये जाने के लिए 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था आय-व्ययक में की गई है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की कई योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिनके अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवकों को मार्जिन मनी, सावधिक ऋण तथा विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से 5 लाख रुपये तक के सावधिक ऋण की योजना को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों को बेहतर स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो सके ।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों में ड्राप आउट की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 114.73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । राज्य सरकार द्वारा अब तक 290 मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा चुका है । मुस्लिम वर्ग के बच्चों को धार्मिक वर्ग के बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं मदरसों/मकतबों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा हिन्दी आदि विषयों से परिचित करने के उद्देश्य से आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत 683 संस्थाओं को आच्छादित किया गया है ।

गैर सरकारी संगठनों एवं शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के 2,000 प्रशिक्षणार्थियों को कोचिंग दिलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

लखनऊ में हज यात्रियों की सुविधा हेतु हज हाऊस निर्मित करने हेतु उपयुक्त भूमि की व्यवस्था करके हज हाऊस का निर्माण शीघ्र कराया जायेगा ।

महिला एवं बाल विकास

बाबा साहेब डा० भीम राव अम्बेडकर का कथन है कि किसी समाज की प्रगति को नारी की प्रगति से आँका जाना चाहिये । प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वयंसिद्धा परियोजना प्रदेश के 94 पिछड़े विकास खण्डों में संचालित की जा रही है । इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आयेगा ।

मदर टेरेसा ने अपना पूरा जीवन समाज के उपेक्षित लोगों की सेवा को समर्पित किया । मदर का मानना था कि उपेक्षित रहना सबसे विषम दरिद्रता है । हमारा प्रयास ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करना है, जिसमें कोई भी वर्ग उपेक्षित न रहे ।

संकटग्रस्त एवं निराश्रित महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्रदान किये जाने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से स्वाधार नामक योजना प्रारम्भ की गयी है । प्रथम चरण में मथुरा-वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिये आश्रय सदन का निर्माण कराया जायेगा ।

निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने की योजना के अन्तर्गत 81.03 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली लगभग 5.37 लाख गरीब एवं निराश्रित महिलायें लाभान्वित होंगी ।

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की 11 से 15 तथा 15 से 18 वर्ष की किशोरियों को शिक्षण, प्रशिक्षण, परिवार कल्याण एवं पोषाहार के बारे में जानकारी देने के लिये प्रदेश में किशोरी शक्ति योजना भी कार्यान्वित है ।

इस योजना हेतु लगभग 4.65 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित है । प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 15 अगस्त, 1997 या उसके बाद जन्मी बालिका शिशु की माँ को 500 रुपये की तत्काल सहायता दी जा रही है । इन हेतु 3 करोड़ रुपये का बजट प्राविधान है ।

प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है जिसमें प्रदेश के मिर्जापुर तथा सोनभद्र में कुपोषित गमर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रति माह निःशुल्क 6 किलोग्राम गेहूँ आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में समेकित बाल विकास परियोजना तृतीय चरण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ हो चुका है । इसके अन्तर्गत 110 नई बाल विकास परियोजनाओं को प्रारम्भ किया जाना है एवं 190 पुरानी योजनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ।

वन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत होना चाहिए । हमारे प्रदेश का वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 8.8 प्रतिशत है, इसमें 5.7 प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्रों में है तथा शेष वन क्षेत्र से बाहर है ।

अतः हम प्रदेश में वन एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण संवर्द्धन तथा विकास के लिये कृत्संकल्प हैं। वानिकी कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त वन प्रबन्धन नियमावली, 2002 संचालित है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में वन विकास अभिकरण का गठन भी किया गया है।

राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीवन विहारों की सीमा पर स्थित ग्रामवासियों को वन्य जीव संरक्षण की दिशा में प्रेरित करने तथा ग्रामीणों को वैकल्पिक आय के स्रोत विकसित करने के उद्देश्य से "इको डेवलपमेन्ट" कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पर्यावरण

स्कूली बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा पर्यावरण से सम्बन्धित क्रियाकलापों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीनकोर योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में आदिवासी बाहुल्य गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से 50 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्तावित है। इससे स्थानीय आदिवासियों को रोजगार की सुविधा भी प्राप्त होगी।

न्याय

प्रदेश में न्याय व्यवस्था को कम खर्चीली बनाने, जनसाधारण को समय से न्याय दिलाने तथा न्याय प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिये विशेष कदम उठाये जायेंगे। वादों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन स्थायी एवं अस्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गयी है।

विभिन्न जनपदों में न्यायालय भवनों के निर्माण के लिये 15 करोड़ रुपये तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास के निर्माण हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमानों सम्बन्धी शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के लिये आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

न्यायिक अधिकारियों के कल्याणार्थ न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि में 31 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। अधिवक्ता कल्याण निधि में भी 1.50 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान दिया जायेगा।

खाद्य एवं रसद

खरीफ वर्ष 2003-2004 हेतु 6.5 लाख मी० टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य घोषित किया गया है। सामान्य धान का मूल्य 550 रुपये प्रति कुन्टल और ग्रेड–ए का मूल्य 580 रुपये प्रति कुन्टल घोषित किया गया है।

प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत निराश्रित वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है तथा उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वृद्धावस्था पेंशन पाने के हकदार हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है, को निःशुल्क 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा ।

प्राप्तियाँ

* वर्ष 2003-2004 में 65145.67 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित है ।
* कुल प्राप्तियों में 33373.04 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 31772.63 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित है ।
* वर्ष 2003-2004 की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 16.5 प्रतिशत अधिक है ।
* वर्ष 2003-2004 में राजस्व प्राप्तियों में कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश 28494.18 करोड़ रुपये है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 12207.24 करोड़ रुपये सम्मिलित है ।

व्यय

* वर्ष 2003-2004 में कुल व्यय 71223.24 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 26.5 प्रतिशत अधिक है ।
* कुल व्यय में 40758.83 करोड़ रुपये राजस्व लेखे का व्यय है तथा 30464.41 करोड़ रुपये पूंजी लेखे का व्यय है ।
* वर्ष 2003-2004 में राजस्व लेखे का व्यय गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से मात्र 11 प्रतिशत अधिक है ।
* वर्ष 2003-2004 में पूंजीगत व्यय 30464.41 करोड़ रुपये है जो गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों से 55.6 प्रतिशत अधिक है । मुख्यतः यह वृद्धि विद्युत निगमों में समायोजन द्वारा निवेश हेतु 5906.83 करोड़ रुपये के प्राविधान के फलस्वरूप है ।
* पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत व्यय 10063.30 करोड़ रुपये सम्भावित है । इसके विपरीत वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक अनुमान में 10997.67 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है ।

समेकित निधि का घाटा

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2003-2004 में घाटा 6077.57 करोड़ रुपये है जबकि वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर घाटा 5168.26 करोड़ रुपये था । इस प्रकार समेकित निधि के घाटे में 909.31 करोड़ रुपये की वृद्धि अनुमानित है ।

लोक-लेखा से समायोजन

वर्ष 2003-2004 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए 4649.39 करोड़ रुपये लोक-लेखा से समायोजित किये जायेंगे जबकि वर्ष 2002-2003 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार लोक-लेखा से 4753.11 करोड़ रुपये समायोजित किये गये ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2003-2004 में आरम्भिक शेष को लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष 1020.87 करोड़ रुपये होना अनुमानित है । इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

मान्यवर,

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी कार्य करने से पूर्व निर्धनतम और दुर्बलतम व्यक्ति का चेहरा स्मरण करें और अपने आप से पूछें कि जो कार्य करने जा रहे हैं क्या वह उस कमजोर व्यक्ति के लिए हितकर होगा । यह बजट इस मंत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । मुझे विश्वास है कि यह बजट समाज के निर्धनतम एवं दुर्बलतम वर्गों के उत्थान के लक्ष्य की ओर एक सार्थक एवं दृढ़ कदम है ।

मंत्रि-परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं । मैं प्रमुख सचिव, वित्त, श्रीमती रीता शर्मा और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूं । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करता हूं । इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2003-2004 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूं ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, आपने यह आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट प्रस्तुत करने के बाद हम आपकी बात सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–04, 05, 06 और 07 में कुछ नहीं है ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 07 सूचनाएं स्वीकार की गई –

पहली सूचना श्री अनिल सिंह का है, जो पढ़ी हुयी मानी गई । दूसरी सूचना श्री रमेश कान्त लवानिया की है, जो पढ़ी मान लेते हैं । तीसरी सूचना श्री अकीलुर्रहमान खां की है, वह उपस्थित हैं । चौथी सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' की है, जो पढ़ी हुयी मान ली जाय । पांचवी सूचना श्री विद्या चौधरी की है, जो उपस्थित नहीं हैं । छठी सूचना डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, इसे पढ़ी हुई मान ली जाय । सातवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है, इसे पढ़ी हुई मान ली जाय ।

प्रतीक्षा सूची की श्री हुकुम सिंह की सूचना स्वीकार की जाती है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी है, उनके नाम इस प्रकार है–1–श्री राम इकबाल सिंह और 2–श्री उमा शंकर कुशवाहा की ।

श्री अकीलुर्रहमान खां–

मान्यवर, मेरी भी नियम–301 की सूचना थी, जो स्वीकार है, मैं उपस्थित हो गया हूं, कृपया इसे ले लेने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ी हुई मान ली जाये ।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज कस्बे में राप्ती नदी पर सेतु निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का प्रतिकर किसानों को दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह–

[मान्यवर, 1967-68 में जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज कस्बे में राप्ती नदी पर सेतु का निर्माण किया गया जिसकी वजह से पुरानी सड़क को छोड़कर एक नयी सड़क निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया । उस पर डुमरियागंज और कोसी खुर्द तथा शाहपुर के काश्तकारों की भूमि सड़क में गयी । अभी तक काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया । सादर अनुरोध है कि ग्राम कोसी खुर्द, डुमरियागंज, शाहपुर के जिन काश्तकारों के भूमि का प्रतिकर नहीं दिया गया है इसकी उच्च

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों से जांच कराकर मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त लोगों को प्रतिकर दिलाने का तत्काल निर्देश जारी करने की कृपा करें ।]

आगरा जनपद के जगनेर ब्लाक को बुन्देलखण्ड जैसी सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश कान्त लवानियां–

[मान्यवर, आगरा जनपद की खैरागढ़ तहसील जनपद में सबसे पिछड़ी हुई है । यह तहसील राजस्थान से लगी हुई है और राजस्थान के कुछ लोग चोरी डकैती व अपहरण की घटनायें यहां आये दिन करते रहते हैं । इस तहसील का जगनेर ब्लाक पूर्ण रूप से पहाड़ी है और खैरागढ़ क्षेत्र का कुछ भाग भी पहाड़ी है । यहां सिंचाई एवं पीने के पानी का अत्यन्त अभाव है । जगमेर की जनता में शुरू से बहुत असंतोष है । मेरे निर्वाचित होने पर जनता की अपेक्षायें बहुत बढ़ रही है और यह शासन द्वारा बुन्देलखण्ड को दी जाने वाली सुविधाओं को जगनेर में भी देने के सम्बन्ध में समय-समय पर मांग करती रही है और आये दिन प्रदर्शन, जलूस, धरना व घेराव होते रहते हैं । धीरे-धीरे आन्दोलन उग्र रूप लेता जा रहा है और भय है कि प्रशासन के सामने शान्ति व्यवस्था की स्थिति को खतरा उत्पन्न न हो जाए और कोई गम्भीर घटना घटित न हो जाय जिससे शासन की छवि खराब हो ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय के सम्बन्ध में जगनेर ब्लाक को बुन्देलखण्ड जैसी सुविधायें देने का निर्देश शासन को देने की कृपा करें ।]

जनपद मुरादाबाद के बहजोई क्षेत्रान्तर्गत एक व्यापारी की हत्या की सी०बी०सी०आई०डी० जांच तथा मृतक आश्रित को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकीलुर्रहमान खां–

[मान्यवर, मेरे क्षेत्र विधान सभा 13–बहजोई जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत थाना–बहजोई पुराना डाकखाना रोड बाजार बेहजोई में दिनांक 17-10-2003 को शाम को व्यापारी श्री सर्वेश की दुकान में बदमाशों द्वारा घुसकर वसूली मांगी गई । मना करने पर उसको गोली दाग कर मौत के घाट उतार दिया गया । पूरे कस्बे में दहशत का महौल हो गया । कुछ लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया व भीड़ ने थाने में आग लगा दिया । थाने की घटना में कुछ नगर के गणमान्य व्यक्तियों/व्यापारियों को पुलिस द्वारा फसाया जा रहा है । गृहमंत्री/मुख्यमंत्री जी इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए सम्पूर्ण घटना की सी०बी०सी०आई०डी० जांच कराने एवं मृतक आश्रित को मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह''–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में नगर पंचायत, तहसील मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्लाक मुख्यालय, 4 महाविद्यालय, लगभग 15 इण्टर कालेज, बालक-बालिकाओं के उपलब्ध हैं । सरकार द्वारा 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति के आदेश दिये गये हैं । जिसमें एक सप्ताह रात्रि

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

10-00 बजे से दूसरे दिन 12-00 बजे तक तथा दूसरे सप्ताह प्रातः 4-00 बजे से सायंकाल 6-00 बजे तक की जा रही है जिससे रात्रि में छात्रों के पठन-पाठन तथा महिलाओं के दैनिक कार्य जैसे–घरेलू कार्य के संपादन में गम्भीर असुविधा हो रही है साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की एक्सरे मशीन, पैथालाजी कार्य गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं । वर्तमान में डेंगू ज्वर रोग भी फैला हुआ है । जनहित में और जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शासन से अनुरोध है कि 14 घन्टे की जाने वाली विद्युत आपूर्ति पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए सायंकाल 6-00 बजे से दूसरे दिन प्रातःकाल 8-00 तक नियमित रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु व्यवस्था कर दी जाय । यदि संभव हो तो उपरोक्त निवेदित कार्यक्रम के अतिरिक्त 6 घन्टे की आपूर्ति के आदेश दिये जायं ।

इस जनहित के महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल आदेश प्रदान करने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के [illegible] में [illegible] के हजारों पद रिक्त होने से पठन-पाठन प्रभावित होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 89,659 पद रिक्त हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 28,701 पद खाली पड़े हैं । प्रदेश में कुल 81,075 विद्यालयों में आधे से ज्यादा विद्यालयों में संसाधन की कमी एवं छत तक नहीं हैं । प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर बच्चों के बैठने का उचित स्थान नहीं रहता, पेड़ के नीचे कक्षायें चल रही हैं । एकल विद्यालय होने के कारण शिक्षक भी उपलब्ध नहीं रहते हैं । तमाम जगहों पर शिक्षामित्रों के द्वारा शिक्षा दी जाती है ।

इन प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से मतगणना, जनगणना, विकास गणना, बाल गणना एवं अनेक कार्य लेकर उनको शिक्षण कार्य से अलग-रखा जाता है यह विधा बच्चों के भविष्य निर्माण के मूल स्थान है यदि जड़ कमजोर रहेगी तो बच्चों का संस्कार कमजोर रहेगा । शिक्षकों की कमी से प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है । इस समस्या के तत्काल समाधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

उपरोक्त समस्या का निदान लोकमहत्व एवं अविलम्बनीय है अतः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं ।]

मेरठ स्थित क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय को गौतमबुद्ध नगर (नोयडा) स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

[मान्यवर, मेरठ जनपद में क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय स्थित है जिसके अन्तर्गत मेरठ मंडल व सहारनपुर मंडल के पर्यटन क्षेत्र आते हैं पर्यटन कार्यालय को जनपद गौतमबुद्धनगर (नोयडा) स्थानान्तरित करने का आदेश हुआ है जो तर्क संगत व न्याय संगत नहीं है इस समय कार्यालय शहीद

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वीरमंगल पाण्डेय भूमि हस्तिनापुर में स्थित प्रसिद्ध ग्राम कर्मचन्द्र सेफपूरा श्री गुरूनानक जी के पंच प्यारों का स्थान व जैन समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल हस्तिनापुर की भूमि के निकट है । इस समय कार्यालय दोनों मण्डलों के मध्य स्थित नोयडा स्थानान्तरित होने से कार्यालय प्रदेश व अपने कार्य क्षेत्र एक कोने पर पहुंच जायेगा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन कार्यालय नोयडा से 32 कि०मी० दूरी पर दिल्ली में स्थित है । मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

मुजफ्फरनगर के कैराना क्षेत्रान्तर्गत ईसापुर खुरगायन ग्राम में हजारों एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह–

[मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना के अन्तर्गत गांव ईसापुर खुरगायन में गांव समाज की लगभग एक हजार एकड़ भूमि पर भू-माफियाओं का कब्जा कराया जा रहा है । यह भूमि बहुमूल्य है तथा कुछ समय पूर्व स्थानीय राजस्व अधिकारियों के षड़यंत्र से फर्जी खतौनी बनाकर कुछ लोगों को आवंटित दर्शायी गयी थी जांचोपरान्त समस्त कार्यवाही फर्जी पाई गयी तथा दोषी लेखपाल की सेवा समाप्त की गयी एवं कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी थी किन्तु कुछ समय से सत्तापक्ष के स्थानीय प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर जिला प्रशासन मौन हो गया है भू-माफिया अपना कब्जा करते जा रहे हैं गांव प्रधान कई बार स्थानीय प्रशासन से सम्पत्ति की रक्षा के लिए गुहार लगा चुका है । मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी के संज्ञान में भी यह प्रकरण कई बार लाया जा चुका है परन्तु राजनैतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें ।]

अगस्त माह की नियम–301 और नियम–51 की सूचनाओं का सरकार की ओर से कोई उत्तर न आने पर आपत्ति

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, नियम–301 में हमारी एक सूचना पहले भी स्वीकृत हुयी थी, इसी तरह से नियम–51 के अन्तर्गत भी हमारी सूचना अगस्त में स्वीकृत की गयी थी, लेकिन आज तक हमारी उन समस्याओं का उत्तर सरकार की तरफ से नहीं मिला है, मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, किन्हीं कारणों से उत्तर देने में देर हुयी है, इसके लिए हमें खेद है, हम चार तारीख को फिर बैठेंगे, उस समय हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे ।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं घयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को नियम–311 के अन्तर्गत केवल एक सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री भरत सिंह, श्री राम इकबाल सिंह की प्राप्त हुई, जो प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी

कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में है, जिसे नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमावली के निबन्धनों के अधीन–अग्राह्य है ।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ग्राह्यता के ऊपर ही तो आप बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे । मान्यवर, मेरा कहने का आशय यह है कि एक सत्र में एक विषय पर दो बार नियम–56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर चर्चा नहीं हो सकती है । मान्यवर, 10 तारीख को हमने एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें हमने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी बात रखी थी । यदि कानून व्यवस्था पर एक सत्र में चर्चा हो चुकी है तो फिर दोबारा उसी सत्र में कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो सकती है ।

[समय 12 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, एक ही सत्र में एक ही विषय पर दो बार चर्चा नहीं की जा सकती है, यह मैं आपके संज्ञान में बात नियम–58 के अन्तर्गत लाना चाहता हूं और इस संदर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, जब आप नियम–311 की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित करेंगे तो ऐसा परिवर्तन करते समय इस निबन्धन का पूरा ध्यान रखेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

किसी प्रस्ताव पर चर्चा करना एक बात है और किसी प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सुनना दूसरी बात है । अभी किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है ।

नियम में चर्चा और ग्राह्यता पर सुनना–दोनों में अन्तर है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यानी एक ही विषय पर ग्राह्यता पर आप रोज सुनेंगे । इस रूलिंग का आप ध्यान रखियेगा, यह बहुत दूर तक जायेगी । मैं आज भी एक विषय दूंगा, कल भी दूंगा और परसों भी दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

वह अग्राह्य हो जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह रूलिंग आपकी जो है एक दिशा-निर्देश होगी ।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इस समय सारा प्रदेश अराजकता की आग में जल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए ।

श्री लालजी टण्डन–

मुझे पता नहीं आप लोग किस बात का शोर मचा रहे हैं । आप एक नेता को सरेआम गोली मारी गई इसकी खुशी में आप शोर मचा रहे हैं या जो यह प्रदेश धू-धू कर के जल रहा है उसकी खुशी में । यह काहे की खुशी है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं ।

मान्यवर, आज प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया है । इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर कभी नहीं हुए हैं जो हो गये हैं । कई लोगों का दो महीने में छः-छः बार ट्रांसफर हो गया । इससे सारा प्रशासनिक तंत्र अस्थिर हो गया है । अब इस अस्थिरता में प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा है । यह जरूर है कि कुछ लोगों के इशारे पर कुछ काम हो रहे हैं । आज कितनी गम्भीर स्थिति इस प्रदेश की हो गयी है आप इसे देंखे ।

मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा लम्बे समय की बात नहीं कह रहा हूं । केवल थोड़े समय पहले की घटनाएं बता रहा हूं । मान्यवर, दिनांक-8-10-2003 को जनपद मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के डबलफाटक सीतापुरी में एक पीतल फर्मकर्मी का अपहरण कर लिया गया । इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मेजर जे० पी० सिंह की बेटों को रेलवे अस्पताल मुरादाबाद के पास लूटने की कोशिश की गयी । मान्यवर, इसी तरह से 1-10-2003 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाई साल से बन्द पड़े सुमन रिजार्ट्स, मुरादाबाद के भवन पर जबरन कब्जा करने गये पूर्व विधायक के पक्ष के लोगों ने रिर्जाट्स के कर्मचारियों को भगाने के लिए फायरिंग की । मान्यवर, इसी तरह से 3-10-2003 को मुरादाबाद शहर में बैंक से पैसा निकाल कर ला रहे व्यवसायी की स्कूटर की डिग्गी तोड़कर चोर 60,000/- ले उड़े । इसी तरह से दिनांक 10-3-2003 को खबर में है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के पदाधिकारियों द्वारा जगह-जगह पर अवैध कब्जे शुरू कर दिए हैं । मान्यवर, जनपद मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिला गन्ना अधिकारी के आवास पर कब्जा कर लिया एवं गन्ना अधिकारी के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो नियम है उसमें यही है कि प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबद्ध रहेगा, एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । यह नियम 58(3) में दिया हुआ है । इसमें यह भी दिया हुआ है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो । आप एक सूची पढ़ रहे हैं, घटनाओं की जबकि नियम में है कि एक घटना ऐसी होनी चाहिए और जो हाल में ही घटित हुई हो ।

मान्यवर, आप उदाहरण दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप पुराने अभिलेख उठाकर देखिये, एक विषय पर अनेक उदाहरण दिये जा सकते है ।

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मान्यवर, नियम–56 जो होता है उसमें तत्कालिक घटना हो, महत्वपूर्ण घटना हो और निश्चित घटना हो । जितनी घटनाएं यह सदन में पढ़ रहे हैं कोई न तो निश्चित घटना है, न तात्कालिक है इसलिए इसकी ग्राह्यता पर सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं तो जब तक प्रदेश की पिक्चर सदन के सामने नहीं रखता तब तक मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होता, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि पहले मेरा कहना यही है सब मीडिया में आ चुका है, सार्वजनिक हो चुका है उन केसों में बहुत मामले हुए हैं, जिन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । बहुत से ऐसे केसेज सामने आये हैं जिन पर लोगों ने अत्याचार किया और जो पीड़ित हुए, उन्हीं पीड़ितों के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जो अत्याचारी थे वह घूम रहे है । यह व्यवस्था कौन सी है, इसमें आपके लोग भी आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं । अगर प्रदेश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या शुरू हो जायेगी तो क्या रहेगा । इस सदन में बोलने वाला जब बाहर निकलेगा तो वह जीवित रहेगा या नहीं सोचा । मैं मान्यवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, [xxx]

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो कहा उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भावुकता के प्रवाह में हैं उन्हे बोल लेने दीजिए ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह निकाल दिया जायेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष बड़े भावुक हैं, भावुकता के प्रवाह में कुछ कहा है तो उनकी भावुकता का ध्यान रखिये ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैं चौधरी जी को उस श्रेणी में नहीं रखता हूं जिस श्रेणी में वह कह रहे थे ।

मैं मान्यवर, इसलिए कह रहा था कि पहले दिन साम्प्रदायिक हिंसा के ऊपर बात आयी थी, सदन में भी हमारा विपक्षी दल है, यहां आकर वेल में आ गये और मचा दिया, सदन को चलने नहीं दिया । जबकि हम अपनी बात नियमों के अन्तर्गत कहना चाहते हैं और यदि उसको रोका गया तो फिर कौन सा रास्ता होगा कि सदन में बात कही जाय । फिर हौव उधम होगा । मैंने वचन दिया था कि मेरी तरफ से सदन में कोई बाधा नहीं डाली जायेगी, लेकिन नियमों के अन्तर्गत अगर कोई बात कहने से रोका जायेगा तो मैं किसी को कहने का नैतिक अधिकार नहीं रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहिए ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, फिर क्यों टोका-टाकी हो रही है, मुझे बोलने दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिए । जितना शान्त वातावरण रहेगा उतनी अच्छी भाषा रहेगी, बात रहेगी ।

श्री लाल जी टण्डन–

आगरा में एक युवक को जिन्दा जला दिया गया । ठाकुरद्वारा मुरादाबाद के थाना भोजपुर में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गयी, अन्य घटनाओं में 4 लोग मारे गये, क्षेत्रमें दहशत । बहजोई में व्यापारी की हत्या कर दी गयी । यदि मैं यह कहूं कि सारा व्यापारी कांप रहा है तो शायद गलत न होगा । दुकान के अन्दर पैसे लूटे जा रहे हैं, दुकान के बाहर लूटे जा रहे हैं, गोली से मारे जा रहे हैं, अपहरण किये जा रहे हैं । इतनी ज्यादा घटनायें हैं कि उनको रखने में समय लगेगा । लेकिन यह क्या हो रहा है ? बलात्कार की अत्यन्त लोमहर्षक घटनायें हुयी हैं ।

मुजफ्फरनगर में एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे, दोनों परिवार के लोग इस बात को जानते भी थे । एक दिन दोनों घर से चले गये । तब एक पक्ष ने बदला लेने की दृष्टि से दूसरे के घर के आंगन में मां-बाप के सामने उनकी छोटी नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया, ऐसी घटना प्रदेश में कभी सुनी नहीं गयी । उस दिन मैंने अलीगढ़ के बारे मे कहा था । सदन में यह बात आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री ने यह कृपा की है कि हमारी मंडल अध्यक्ष, जो एक महिला हैं,

को सामान्य कैदियों के बीच ट्रांसफर कर दिया । उनका नाम है शकुन्तला भारती । यह सब क्या हो रहा है ? हम तो जब सत्ता में थे तो माननीय नेता सदन से इस तरह की बातों का विरोध करते थे और बराबर यह कहते रहे हैं कि यह उचित नहीं है । लेकिन अगर यह सब अब हमारे साथ ही होगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे ? मैंने उस दिन भी इस तरह की घटनाओं की ओर इशारा किया था और आज भी बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ में आधा दर्जन घरों में पुलिस ने लूटपाट की । लखनऊ में उपदेश सिंह चौहान जो माननीय नेता सदन की पार्टी के हैं, सम्मानित नेता हैं, इस सदन के सदस्य रहे हैं, आज भी महत्वपूर्ण पद पर पदासीन हैं, उनको गोली मार दी गयी । यह क्या लक्षण हैं ? क्या कानून-व्यवस्था सही है ? अलीगढ़ में जो हो रहा है, क्या वह प्रतिशोध नहीं है ? इस तरह की जो स्थिति है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

* श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह सदन तो नियमों से और आपकी व्यवस्था, परम्पराओं से चलता है । आपने नियम–311 की सूचना को नियम 56 में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद नियम–58 आ जाता है, जिसमें आप सुनेंगे और फैसला सुनायेंगे । आपने अभी पहले एक व्यवस्था दी थी, वह स्वीकार होगी । लेकिन जिस तरह से माननीय टण्डन जी ने एक श्रंखला दी है, उसको ध्यान में रखते हुये मैं एक बात कहना चाहता हूं । कि आप नियम 58 में 2 और 5 भी देख लें । इसमें है कि एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी, प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।

यहां जो पूरी श्रंखला बतायी गयी, वह इस नियम के अन्तर्गत आती नहीं । दूसरे इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिये भी यह नियम में नहीं आता, जिसे आज पुनः नेता प्रतिपक्ष ने रखा है । लेकिन ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि नियम–56 में जिस तरह से सारी सूची रखी गयी है वह निश्चित रूप से नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती । मैं चाहता हूं कि आपने पहले जो भी व्यवस्था दी है कि एक ही विषय पर नियम–56 में विचार किया जा सकता है । इसलिए मान्यवर, यह सूचना न तो नियम–56 के अन्तर्गत आती है और न ही नियम–58 के अन्तर्गत आती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, श्री राम नरेश यादव जी ने जो बातें कही हैं मैं उसी में एक निवेदन और करना चाहता हूं, अनुरोध है कि व्यवस्था देने से पहले आप मेरी बात भी सुन लें । मान्यवर, आपने माननीय नेता विरोधी दल को सुन लिया । नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी और उसे नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया इसलिए मान्यवर, नियम–56 में जो शर्तें आती हैं उनके आधार पर ही ग्राह्यता की अनुमति दी जानी चाहिए । कृपया नियम–58 के क्रम सं०–2 और 3 में देखें, प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा । मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं । जब तक कि इस पर आपकी व्यवस्था आये उससे पूर्व कृपा पूर्वक इस पर भी विचार कर लेने की आवश्यकता है कि जो नोटिस आपके सम्मुख है अगर उस नोटिस में किसी और माननीय सदस्य ने भी हस्ताक्षर किये हैं और

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया

उनमें भी अनेकानेक घटनाओं का जिक्र है तो यह किसी भी हालत में नियम–56 में ग्राह्यता में सुने जाने योग्य नहीं है । मान्यवर, एक अनुरोध और है कि नेता विरोधी दल का एक विशेषाधिकार है और उन्होंने अगर प्रापर नोटिस नहीं दी है और उनको उनके विशेषाधिकार में सुन लिया गया है तो कोई बात नहीं लेकिन ग्राह्यता पर यदि दूसरे माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तो ऐसी सूचना को जिसमें एक से अधिक विषय है और उन पर 4 दिनों पूर्व चर्चा भी हो चुकी है, कृपया इसकी गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आप अपनी व्यवस्था दें ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने नियम 311 में अपनी सूचना दी और उसे नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया । यदि यह सरकार समझती है कि उसकी कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक है तो नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसको सुने जाने मे आपत्ति क्या है ? सरकार अपना उत्तर दे देगी और इसका फैसला जनता करेगी । कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक है या खराब, इसका निर्णय जनता करेगी । आखिर सरकार जनता को उसके अधिकार से क्यों वंचित करना चाह रही है ?

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो बातें उठाई जा रही हैं वह परम्पराओं के खिलाफ हैं । माननीय नेता विरोधी दल सदन की परम्पराओं को तोड़ने का प्रयास न करें और कानून व्यवस्था तो हमारी सही है ही ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी 4 दिन पहले ही कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई थी कर्फ्यू वगैरह का जिक्र हुआ था उस पर माननीय नेता सदन ने बड़े विस्तार से अपना मत रखा था और माननीय नेता विरोधी दल ने इन सारे मुद्दों को उस दिन भी उठाया था । विषय है कानून-व्यवस्था बड़ा व्यापक विषय है । कानून-व्यवस्था का विषय उत्तर प्रदेश का ही विषय क्यों पूरे देश का विषय है अगर इस पर बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश से उठकर भारतवर्ष तक चला जायेगा । चर्चा के लिए एक विषय होना चाहिए, विषय से मतलब एक जगह पर घटित घटना का विषय होना चाहिए । अलीगढ़ मेरठ और अन्य जिले, जिस पर माननीय नेता विरोधी दल ने अपने वक्तव्य में सब कुछ कह दिया है । उसके बाद आज के दिन भी उन्हीं सारी बातों को नियम–56 के तहत सदन के अन्दर रखना और पहले से उसमें कुछ और इजाफा तो यह विषय नहीं हो गया । यह चर्चा कहानी और किस्सा हो गयी । मेरा आपसे यही आग्रह है कि नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता ।

मान्यवर, आज बजट पेश हुआ है और बजट पर चर्चा होगी, माननीय नेता विरोधी दल, अन्य दलो के नेताओं और हमारे तमाम साथियों को इस पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था कैसी है तथा इस पर बहस करने का पूरा-पूरा मौका मिलेगा, महज दो महीने की सरकार को कानून-व्यवस्था के नाम पर इसलिए नहीं घेरा जा रहा है कि कानून-व्यवस्था ठीक होनी

---

* वक्ता ने भाषं का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिए बल्कि इसलिए कि सरकार को अस्थिर किया जा सके । मान्यवर, यह मंशा है । पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, प्रदेश की 17 करोड़ जनता को गुलामी से निजात मिली है । पहले जो स्थिति थी उन सच्चाईयों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता । पहले यह था कि थानों में रपट नहीं लिखी जायेगी, हत्या के मुकदमें की रपट नहीं लिखी जायेगी, छोटी घटनाओं की कोई रपट नहीं लिखी जायेगी मान्यवर, महज दो महीने की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है । यह जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की ओर से जिस तरह से प्रश्न रखा गया, उसका कोई औचित्य नहीं था । मान्यवर, यह नियम–56 की परिधि में नहीं आता इसलिए यह निरस्त करने योग्य है ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री हुकुम सिंह जी जो आपति उठायी गयी है उसके बारे में बताइये । ग्राह्यता के बारे में बताइये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो महीने में मानसिकता कहां से कहां बदलती है इसका प्रमाण मिल गया । जो लोग कहते थे कि मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए । आज प्रदेश में जो माहौल है उस पर जब हम कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए तो इतने संकुचित हो गये और हमारे बोलने के अधिकार को लेकर व्याकुल हो गये । अगर ग्राह्य है या नही यह तो जब बोलने का अवसर मिलेगा, तथ्य रखे जायेंगे तभी निर्णय हो सकेगा ।

* बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरनपाल सिह)–

क्या यह व्यवस्था दे दी जाय कि रोज-रोज एक ही विषय पर बोलेगे ?

श्री हुकुम सिंह–

किरनपाल सिंह जी, आप मंत्री हैं, जब मुझें बोलने की अनुमति मिली है और मैं बोल रहा हूं तो आप बैठे रहें । कम से कम अपने पद की गरिमा रखें । मान्यवर, आपत्ति मूल रूप से यह आयी है कि इस विषय को दोबारा उठाया जा रहा है । जहां तक मुझे स्मरण है 10 तारीख में उसे सारे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों के माहौल से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उस विषय को उठाया था उसी बीच जो यहां त्रिशंकु बने बैठे हैं, हमने कुछ कहने का प्रयास किया था, क्या कहा था, कितना कहा था, वह आज बात है परन्तु जहां तक कानून-व्यवस्था की बात है प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घण्टे कानून-व्यवस्था बदलती रहती है । एक दिन कुछ घटनाओं का उल्लेख कर दिया तो क्या कानून-व्यवस्था पर बोलने के लिए हमेशा के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया जायेगा कि फलाँ दिन आप कानून-व्यवस्था पर बोले थे । जो घटनायें बढ़ी हैं और सदन के संज्ञान में नहीं आयी हैं क्या उसके बारे में नहीं कहेंगे ? यहां पर नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान हैं, संसदीय कार्यमंत्री जी भी हैं उनके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि दो महीने के अन्दर प्रदेश में क्या स्थिति बनी है, हो सकता है कि आप उसे दुरुस्त करना चाहें । आप बोलने नहीं देंगे और सरकारी आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो सही स्थिति सामने नहीं आ पायेगी । मुझे प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोलने की अनुमति दें, यही मेरा आग्रह है ।

---

* वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, केवल तात्कालिक और निश्चित घटना पर ही चर्चा हो ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा नियम–311 में दी गयी सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया । माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ग्राह्यता के बारे में अपने विचार रखे । अब इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय अम्बिका चौधरी, मा० राम गोविन्द चौधरी और मा० प्रमोद कुमार, माननीय राम नरेश यादव, ने यह आपत्ति की थी कि यह सूचना नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आती है, क्योंकि इस विषय पर दिनांक 10 नवम्बर को सदन में चर्चा हो चुकी है । प्रक्रिया नियमावली के नियम–57 की ओर अगर हम ध्यान दें तो इसमें दिया हुआ है कि इन नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी लोक महत्व और अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा । नियम–58 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निबन्धनों के अधीन ग्राह्य होगा । नियम–58(2) के अनुसार एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी । ग्राह्यता के समय विचार किया जा सकता है कि क्या निर्बन्ध लागू होते है कि नहीं इसलिए सूचना में जो थोड़ी अन्तर आया है वह स्पष्ट हो जायेगा ।

नियम–62 को देंखे उसमें दिया हुआ है कि अविलम्बनीय लोकमहत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा यदि पहले समाप्त न हो जाय आरम्भ होने से दो घण्टे पूरे होने पर समाप्त हो जायेगी और उसके पश्चात कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा । प्रस्ताव ग्राह्य मान लिया जाय तो स्वीकार होने के बाद चर्चा होगी । अभी चर्चा नहीं हो रही है । अभी नेता प्रतिपक्ष ने ग्राह्यता पर विचार प्रकट किये हैं । विधान सभा के अभिलेख देंखें जाय तो पहले भी एक ही प्रकार के विषय पर कई घटनाओं का समावेश हुआ है । चूंकि हम घटना का उल्लेख कर रहे हैं इसलिए जो मुख्य विषय है उसमें रोका नहीं जा सकता इसलिए जो मुख्य विषय है कानून-व्यवस्था का उसमें घटनाओं को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । सुनने के बाद निश्चिय होगा कि सूचना ग्राह्य है अथवा नहीं । ग्राह्य है तो चर्चा होगी, नहीं तो इसी स्तर पर अस्वीकार हो जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं । आप अध्यक्ष पीठ पर विराजमान हैं जो उल्लिखित उपबन्ध हैं चर्चा उसी के अनुसार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह हमेशा हुआ है । जब आप लोग विपक्ष में थे तब भी ऐसा ही हुआ है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह सदन को हाईजेक करने की कोशिश करेंगे तो कैसे भूलेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, [×××]

नोः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा कोई विशेष अनुरोध नहीं है, मैं वह निर्णय स्वीकार करूंगा जो आप देंगे ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस प्रकार कैसे चलेगा, यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो सदन कैसे चलेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यदि हमें बोलने नहीं दिया जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि यह ग्राह्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । मैंने नियम–57 का उल्लेख अपनी व्यवस्था में किया है और मैंने नियम–62 तथा नियम–58 का अपनी व्यवस्था में उल्लेख कर दिया है । मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूं, ग्राह्य होगी तो चर्चा होगी नहीं होगी तो इसी स्तर पर निरस्त हो जाएगी ।

(शोर)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, [xxx]

श्री अध्यक्ष–

देखिए आप लोग बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । मेरी बात सुने कृपया शान्त हो जायें, नियम–314 देखिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सदन का माहौल बिगाड़ने के माहिर हैं इसीलिए खड़े हुए हैं । सदन नियमों के अनुसार नहीं चले, ऐसा चाहते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने दूसरी व्यवस्था उठानी चाही है । आपके विनिश्चय पर कुछ नहीं कहना है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वही होगा क्या इस सदन में ? मान्यवर, श्री प्रमोद कुमार जी को सदन का माहौल बिगाड़ने की महारत हासिल है, यह सदन का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं । मान्यवर, इस सदन का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं इस तरह से सदन कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष–

देखिए अब वह बात तो समाप्त हो गई है ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी [× × ×] सदन का कीमती समय बर्बाद करना चाहते हैं [× × ×]

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा । आप बैठ जायें । यह कुछ नहीं लिखा जाएगा एक शब्द भी नहीं लिखा जाएगा । आपने जो आपत्ति उठाई थी उस पर मैंने विनिश्चय दे दिया है इसके बावजूद भी आप खड़े हो रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । मैं आपके विनिश्चय पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे नियम–57 में व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप अनावश्यक सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री हुकुम सिंह को पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप दूसरों के बोलने में व्यवधान कर रहे हैं । कृपया बैठ जायं मैंने ग्राह्यता पर दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी हमारे बाजपेयी जी की बड़ी सख्त जबान आ जाती है और ऐसी टिप्पणी पर अंकुश होना चाहिए । बार-बार माननीय बाजपेयी जी यह कहते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने देंगे ।

नोट :– [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आप ही से सीखा है । (शोर)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, अगर जोर से बोलकर यह कहेंगे कि व्यवस्था का प्रश्न उठने नहीं देंगे तो यह उनको अधिकार नहीं है । बाजपेयी जी को आप इसके लिये समझाइये कि बार-बार एक ही अंदाज में पूरे सदन में अपनी खास प्रतिभा का परिचय दें यह उचित नहीं है । (शोर)

श्री अध्यक्ष–

हम सब सदन में एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं । प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि समय-समय पर व्यवस्था का प्रश्न उठाये । एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया और इस पर विनिश्चय हो गया । मैं हुकुम सिंह जी को ग्राह्यता पर सुन रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं दूसरी व्यवस्था उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में व्यवधान है, तिवारी जी ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप मेरी व्यवस्था को सुन लें और रिजेक्ट कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को बुला लिया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था को सुन लें और उस पर निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 01 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

[अत्यधिक व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

01 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 2.00 बजे मार्शल ने सदन **को पुनः सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है ।**

2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।]

श्री हुकुम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, केवल बहुत ही संक्षेप में मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं । आज का जो कार्य स्थगन प्रस्ताव नियम–311 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, उसको आपने कृपापूर्वक नियम–56 के अन्तर्गत स्वीकार किया । मैं एक घटना विशेष से शुरूआत करना चाहता हूं । इसी महीने, नवम्बर के महीने में एक बस चलती है दिल्ली से हरिद्वार के लिए, संयोग से उसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी थे । मुजफ्फरनगर पहुंचती है । मंशूपुर थाने के पास, उसको लूटा जाता है जो विदेशी पर्यटक उसमें बैठे है उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है । बस को लूटने के बाद लुटेरे फरार हो जाते हैं । आज तक कोई गिरफ्तारी नही हुई । परिणाम यह हुआ कि दोनों देशों के दूतावासों के जो राजदूत थे हमारे विदेश मंत्रालय में गये और कहा कि जिस प्रदेश की कानून-व्यवस्था इतनी चरमरा गयी हो ऐसे प्रदेश में विदेशी पर्यटकों का आना कैसे सम्भव हो सकेगा ? उन्होंने अपने नागरिकों को हिदायत भी दी । जहां ऐसी घटनाएं होती हैं, हमें पीड़ा होती है, और इसीलिए हमने इस घटना का उल्लेख किया ।

* श्री अजीम भाई–

दिल्ली में भी विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह–

सारा देश इसके लिए शर्मिन्दा है ।

(व्यवधान)

(श्री राम लाल अकेला के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अकेला जी कृपया बैठ जायें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

उपाध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि इस पर काफी चर्चा हो गयी है, काफी बहस हो गयी है, काफी पक्ष रखा जा चुका है । नेता विरोधी दल भी बोल [illegible] हुकुम सिंह जी का काफी बोलना अनावश्यक सा लग रहा है, इसको खत्म करें । आप [illegible] सदस्य हैं, आप स्वयं अपना वरिष्ठ सदस्य होने का लिहाज रखेंगे ।

* अपना भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी जिन्होंने मुझे मार्ग दर्शन किया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

आप अपनी सीनियारिटी को किसी पर लादिये नहीं । आप अपनी वरिष्ठता को अपने पास रखें और यह भी समझें कि दूसरे भी वरिष्ठ सदस्य यहां हैं । ऐसा आचरण रखें कि आपकी वरिष्ठता पर सवालिया निशान न खड़ा हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और अपनी बात कहने का मुझे अधिकार मिला है । मैं अपने विषय तक सीमित हूँ । मैं पहले उत्तर प्रदेश की घटनाओं को रखना चाहता हूँ और इसलिए रखना चाहता हूँ कि मैं इसमें पिछले दो महीनों का जिक्र नही करुंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बात बार-बार हो चुकी है । समय व्यतीत हो रहा है । क्यों एक ही बात बार-बार उठायी जा रही है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जनहित की बात है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह जनहित की बात नहीं है । दलहित की बात हो सकती है । बार-बार एक-ही बात को न दोहराया जाये ।

(विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिससे कुछ सुनायी नहीं दिया ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की जाती है ।

(व्यवधान के कारण श्री उपाध्यक्ष ने 2बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 3.00 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा । मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अपराध की स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनी है उसका कुप्रभाव विकास की हर दिशा में जाना है । इसमें अगर नियंत्रण नहीं होगा तो जो योजना सोची होगी वह आगे नहीं बढ़ पायेगी । मान्यवर, मेरे पास

इस समय तीन हजार एक सौ इक्तीस गम्भीर घटनाएं हैं जिसमें कत्ल, लूट और अपहरण की घटनाएं शामिल हैं। मैं उनका जिक्र इस समय नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जहां दो महीने में इतनी घटनाओं का विवरण हो तो कैसे प्रदेश चलेगा। 1947 की आजादी के बाद से आज तक विभिन्न पार्टी की सरकारें रही। लेकिन आज तक यह रिकार्ड स्थापित कोई नहीं कर पाया है। इन दो महीनों में प्रदेश की स्थिति चौपट हो गयी है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जिले मुजफ्फरनगर में शान्ति का माहौल था लेकिन आज स्थिति क्या है ?

(व्यवधान)

आप आज का समाचार-पत्र उठाकर देखें। चौबीस घंटे में पांच हत्याएं और केवल हत्याओं की ही बात नहीं है, लूट, दिन दहाड़े अपहरण.....

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सारी बात आ गयी है । अब आप बैठ जायें।

श्री हुकुम सिंह–

आज व्यापारी कोई भी शान्ति से नहीं रह सकता है। उद्योगपति अपने व्यवसाय को छोड़कर इस प्रदेश से जा रहे हैं, । ऐसी स्थिति में इस सरकार को चलाने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह–

उन्नाव में घटना हुई, वहां पर दलितों की हत्याएं हुई। सारे राजनीतिक दल के लोग वहां पर गये थे। संयोग की बात है कि मुलायम सिंह जी के भाई श्री शिवपाल सिंह जी जो कि कृषि मंत्री हैं, भी वहां पर गये थे। उनसे पूछा कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, तो यह उत्तर दिया गया कि [xxx]

(व्यवधान)

आज मुलायम सिंह जी की सरकार ने सारे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को चौपट कर दिया है। प्रदेश की क्या हालत हो गयी है ? इतना महत्त्वपूर्ण यह विषय है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

नोटः- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह–

जहां दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हों, अपहरण होते हों और पुलिस इतनी पंगु हो गयी हो कोई सुनने वाला नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाय ।

* श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । विगत कुछ दिन पहले एक जुल्मी हुकूमत गयी थी और लोगों को खुशी मनायी थी । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ उसके जाने की खुशी भी इतना आपके आने की खुशी लोगों को नहीं थी ।

(व्यवधान)

ये हमारे साथी आज बड़े बहादुर हो गये हैं । लोग किसी को सुनना नहीं चाहते हैं आज ।

(व्यवधान)

हम किसी की कृपा पर नहीं है जो बोलने नहीं दिया जा रहा है । इस संविधान में व्यवस्था है हमें अपनी समस्यायें उठाने का पूरा हक है । आपका मैं व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, हमें आप लोगों से यह उम्मीद थी नहीं । हम चाहते हैं कि सरकार पांच वर्ष तक चले अच्छे ढंग से चले, इसके लिए हम सहयोग भी करेंगे लेकिन यह पक्षधरता है, अगर सरकार सत्ता के मद में आ गयी है तो हमें उसका ध्यानाकर्षण तो कराना ही पड़ेगा । अभी हाल ही में कहा गया है कि चैन स्नैचिंग बन्द नहीं हुयी है । अभी हाल ही में वन्दना श्रीवास्तव की चैन छीनी गयी । अभी प्रतापगढ़ में अंकित सर्राफ की पांच लाख के जेवर लूट ली गयी ।

(व्यवधान)

*श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय, पेजरी थाना क्षेत्र में [x x x] और आज यह इस तरह की बातें कर रहे हैं [x x x] और यह यहां व्यापारियों के हितों की बात कर रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ाने की बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह–

माननीय, अगर यह सही कह रहे हों [xxx] को जांच करवा कर कार्यवाही करवायें, सरकार इनकी है लेकिन जब कोई घटना हो तब न । यह विधान सभा है, आज कानून व्यवस्था की बात हो रही है ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

आप हमारी धमकी से परेशान न हों, आपकी सरकार है, आप जांच करवाइये। सौ बार इस तरह अपनी बात कह कर आप आरोप हमारे ऊपर सिद्ध नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपा करके वैठ जायें।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

पूरा व्यापार मण्डल आपके खिलाफ है। [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी सीट पर बैठ जायें।

* श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी''–

मान्यवर, आपने इन्हें नियम के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी है। अगर माननीय विधायक जी को कुछ कहना हो तो आपके अनुमति से इनके बोलने के बाद कह सकते हैं।

श्री राम इकवाल सिंह–

मान्यवर, मेरे जिले में भी एक गंभीर घटना घटी एक गरीब पिछड़े वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री प्रेम चौहान के साथ घटना घटी।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

यह एकदम फर्जी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्यसूची में मद संख्या–14 देखने का कष्ट करें, इसमें श्री राम इकबाल सिंह जी की इसी विषय पर एक सूचना है जिस पर नियम–51 में वक्तव्य स्वीकृत है तो जब पहले से कार्य-सूची में यह मद सम्मिलित है तो फिर इसका जिक्र करके यह सदन का समय नष्ट क्यों करना चाहते हैं ? यह सूचना नियम–56 में नहीं ली जा सकती।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम इकबाल जी, नियम–51 में यह सूचना वक्तव्य के लिए सम्मिलित हो गयी है। आपके नेता विरोधी दल और माननीय हुकुम सिंह जी ने इस पर चर्चा कर ली है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है इस पर चार रोज पहले काफी चर्चा हो चुकी है और नेता सदन ने सदन को पूरी वस्तु-स्थिति से अवगत कराया है। कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की लेकिन उसे जनता ने आगे बढ़ने नहीं दिया आज बिल्कुल स्थिति शान्त है प्रदेश की। कहीं कानून-व्यवस्था के खराब होने का सवाल नहीं है। यह नियम–56 में नहीं आती है। इसे निरस्त करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने नियम–56 में अस्वीकार कर दिया है।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूं। अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, मैंने डकैती लूट आदि घटनाओं का भी जिक्र किया, तो क्या आपने उन लोगों से मुलाकात की, जिससे आपने नियंत्रण करने की बात कही है, तो वह क्या बात हुई उसको बताने का कष्ट करें।

* श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैंने नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी है और जो विषय रखा है वह लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है और निश्चित है तथा तात्कालिक है। मान्यवर, विगत लगभग 2 माह से सारा उत्तर प्रदेश डेंगू बुखार से आतंकित है। लखनऊ में इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है, पीजीआई चिकित्सा विश्वविद्यालय, सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल सहित अनेकों नर्सिंग होम में इस बीमारी से भर्ती लोगों के खून की जांच में डेंगू के लक्षण तथा आवश्यक तत्व धनात्मक पाये गये। सरकार एवं प्रशासन की चिकित्सा के कारण डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह मरीज प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार डेंगू रोगियों की संख्या कल तक 2703 हो गयी थी। लखनऊ में डेंगू बुखार से पीड़ित अनेकों रोगियों की इसलिए मृत्यु हो गयी क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी। यह सरकार डेंगू बुखार पर नियंत्रण करने में असफल सिद्ध हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज भी सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू बुखार से पीड़ित लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है । सरकार की असफलता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को डेंगू बीमारी की रोकथाम के संदर्भ में दिशा-निर्देश देने पड़े और यह कहना पड़ा कि राज्य सरकार अपने दायित्व का सही ढ़ंग से निर्वाह नहीं कर पा रही है ।

मैं इस बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए सरकार द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु सदन की कार्यवाही स्थगित कर जनहित के इस विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज नियम 56 के लिए ग्राह्यता पर सुने जाने के लिए जिन सूचनाओं को स्वीकार किया गया है उन सूचनाओं को यहां ले लिया गया है । अभी मद संख्या 14 का जिक्र किया गया फिर आप देख लें मद संख्या 12,मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट प्राविधान है कि किसी भी दूसरे नियम में अगर यह सूचना आती है तो उस पर फिर नियम 56 में कार्यस्थगन आने का औचित्य नहीं है इसलिए डेंगू वाले पर मद संख्या 12 देख लें उत्तर प्रदेश में डेंगू तथा मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में । इस पर नियम 56 में ग्राह्यता पर सुना जाना उचित नहीं है । इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष–

चूँकि नियम–51 में यह आ चुका है और इसी विषय पर आ चुका है इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है । यह डेंगू पर है और इस पर वक्तव्य आ रहा है । यह आ चुका है इसलिए मैं इसे अग्राह्य कर रहा हूं ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह इलाहाबाद से संबंधित है और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है । मान्यवर, सरकार किसी विषय को सुनना नहीं चाहती । हमारी कार्य-स्थगन की सूचना है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम–51 में आ चुका है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी मैं क्षमा चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष जी अभी गौर साहब ने एक बात कही है कि सरकार सुनना नहीं चाहती है मान्यवर, सरकार पूरा वक्तव्य लेकर हाजिर है अपनी बारी की प्रतीक्षा करें, यह मद लिये जाने की प्रतीक्षा करें, ऐसी टिप्पणी सरकार के लिए किया जाना उचित नहीं है । पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है और अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं हम । इसलिए जब जो मद आयेगी तब ली जायेगी । मान्यवर, नियमों को इन्होंने कभी तरजीह दी नहीं इसलिए आज भी तरजीह नहीं दे रहे हैं । यह सदन तो नियमों से चलेगा ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, यह नियम–56 में जब माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया तब आप ग्राह्यता पर सुने बिना केवल इस आधार पर कि नियम 51 में लगा हुआ है, उसको इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय है उस निर्णय के अनुसार आप इनको ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

इस विषय पर पूरा-पूरा वक्तव्य आ रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप नियम–58 का (6) देख लें। इसमें दिया है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, इसको आप देख लें और इस पर अपनी व्यवस्था दें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अगर कोई सदस्य किसी जनपद की कोई बात उठाना चाहता है तो इसमें सुनने से सरकार क्यों मना कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

नियमों में स्पष्ट है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी पत्र में चर्चा हो चुकी हो। इसमें तो पहले ही सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मैं तो इलाहाबाद का जिक्र कर रहा हूं, यह तो उससे अलग है।

श्री उपाध्यक्ष–

क्या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के बाहर है, मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका इस बात के लिये आभारी हूं कि आपने अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर कार्य-स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्षमा करें, आपसे पहले माननीय मौर्य जी की सूचना है।

श्री प्रमोद कुमार–

नियम–56 में कौन-कौन सी सूचनायें ली गयी है, इसकी सूचना पहले दी जाती थी।

श्री उपाध्यक्ष–

केवल दो पर सुनना था, वह मैं सुन चुका हूं, बाकी 3 पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं । मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि [xxx]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह अध्यक्ष जी पर नहीं, यह शासन पर टिप्पणी है ।

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, आप दिखवा लीजिये [xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

जो अध्यक्ष जी के संबंध में टिप्पणियां की गयी हैं, उन्हें हटा दिया जायेगा । यह आक्षेप है ।

इसके बाद भी राधा मोहन दास अग्रवाल जी को विशेष उल्लेख में लिया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपने मुझे अनुमति दे रखी है । माननीय उपाध्यक्ष जी आज उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों....

श्री उपाध्यक्ष–

मैं दो सूचनाओं को सुन चुका हूँ और बाकी पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुका हूँ, इसलिए केवल दो मिनट में आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक मिनट तो आपने निर्देश देने में बिता दिये लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे विधायक श्री मदन सिंह गौतम को बुरी तरीके से फर्जी मुकदमें में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है । कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लें अन्यथा आपका यही हैश्र होगा ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा श्री मौर्या जी की बात का विरोध करने पर .....व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

नोटः– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । आपका समय समाप्त हो गया है कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यही स्थिति हमारे अन्य विधायकों के साथ भी है । श्री अनिल मौर्या तथा विनय शाक्य को भी यही धमकी दी जा रही है । जिस तरीके से हमारी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है उससे जनता में जनाक्रोश है, चुने हुए विधायकों पर 3 दिन के अन्दर दो-दो फर्जी मुकदमें लगाये गये ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप सभी लोग बैठ जायें । मौर्या जी अब आप नहीं बोलेंगे आपकी बात खत्म हो गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, आप उपाध्यक्ष बनाये गये हैं । अब आप समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं । [xxx] 17 तारीख को जिस तरह से फर्जी मुकदमा कायम किया गया उससे वहां लोगों में भारी रोष है । जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आपकी पीठ से कोई निर्देश हो जाय ।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष–

मौर्या जी अब समाप्त करिये । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी पूरी बात आ गयी । मैंने आपको सुन लिया लेकिन यह उदाहरण नहीं बनेगा दो सूचनाओं पर सुनना था और 3 पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है उसकी जांच आप अपने स्तर से करा लें । इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दें और इसकी जांच हो जाये । अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिले, अगर निर्दोष हैं तो हमें फर्जी मुकदमें में न फंसाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जाईये ।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इस पर आपका निर्देश आ जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

* डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सन्तुलित एवं समन्वित विकास तथा क्षेत्रीय विषमता को दूर करने की दृष्टि से पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की गयी थी । इन क्षेत्रीय विकास निधियों की स्थापना का उद्देश्य यही था कि विकास की दौड़ में, उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों के लिए, जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा के अनुरूप विशेष योजनायें बनाई जाये । लेकिन अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि विभिन्न कारणों से पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना के बावजूद क्षेत्रीय असन्तुलन तथा आर्थिक विषमता घटने की जगह पहले से बढ़ी है । मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने 1 अप्रैल, 2003 के बाद के पूर्वांचल विकास निधि के निर्णयों पर रोक लगा दी है । विभिन्न कार्यों को स्वीकृति देते समय पूर्ववर्ती सरकार का राजनैतिक पूर्वाग्रह था और अब रोक लगाने में वर्तमान सरकार पूर्वाग्रही दृष्टिकोण स्पष्ट दिख रहा है । अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजनैतिक दांवपेंच के इस खेल का शिकार गोरखपुर की अति महत्वाकांक्षी बाईपास निर्माण की योजना हो गयी है । गोरखपुर की ट्रेफिक की भारी भीड़ की समस्या के समाधान के लिये बाईपास का निर्माण अत्यन्त आवश्यक था । पूर्ववर्ती मुख्य मंत्री ने 18 दिसम्बर, 2002 को इसके संदर्भ में हम जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर इसकी घोषणा की थी । 193 लाख की योजना में प्रथम चरण में 70 लाख की स्वीकृति हुयी थी और 35 लाख रुपये अवमुक्त भी हो गये थे । शिलान्यास कार्यक्रम होने ही वाला था कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रोक लगा दी गयी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में विश्वास मत अर्जित करते समय यह कहा था कि वह किसी भी राजनैतिक पूर्वाग्रह से काम नहीं करेंगे । मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि पर जिस प्रकार से रोक लगायी है और क्षेत्रीय विकास की योजना की जो दिसम्बर में घोषणा की गयी थी उस पर अप्रैल के एक आदेश से रोक लगा दी गयी है । उससे क्षेत्रीय जनता की जन भावनाओं को चोट पहुंची है । मान्यवर, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस पर चर्चा अवश्य करायी जाय । बाईपास का निर्माण न होने से महराजगंज कुशीनगर, देवरिया और गोखरपुर और गोरखपुर के भारी वाहनों के आवगमन पर अवरोध हो रहा है ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–56 में दो -तीन और सूचनायें हैं । एक सूचना मेरी भी ऊर्जा के संबंध में है । यदि अनुमति दे तो एक-दो मिनट में अपनी बात रख लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप विद्वान सदस्य हैं और हमेशा सहयोग देते हैं, नियमों के अन्तर्गत दो सूचनाओं पर सुन लिया और 3 पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जो दो सूचनायें सुनी गयी एक डेंगू तथा दूसरी प्रेम चौहान की हत्या से संबंधित अगर कार्यसूची देख ली जाती तो इसको स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए ।

कुँवर भरतेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह सीधे-सीधे पीठ पर आक्षेप है ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, यह पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं और आप इसको सुन रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप बैठें । आक्षेपात्मक अंश कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

[सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2003 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2, खण्ड-3 तथा बढ़ाया गया खण्ड–4,खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

खण्ड–2

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908 की धारा 115 का प्रतिस्थापन

2–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और इसे 1 जुलाई, 2002 से रखा हुआ माना जायेगा, अर्थात्–

"115(1)–किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाही में पुनरीक्षण विनिश्चत किसी मामले में, जहां आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है और जहां अधीनस्थ न्यायालय ने,–

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नही है; या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; या

(ग) अपनी अधिकारिता को अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ प्रयोग किया है ;

वहां पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है ।

(2) जब उच्च न्यायालय में उपधारा (1) के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर मामले के शीर्ष के नीचे, इस आशय का एक प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकता है किन्तु केवल उच्च न्यायालय, मूल्यांकन के कारण या पुनरीक्षण के लिये इप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, के कारण, मामले का पुनरीक्षण कर सकता है ।

(3) वरिष्ठ न्यायालय, इस धारा के अधीन, किसी आदेश को परिवर्तित या उलट देगा, सिवाय जहां,–

(एक) आदेश, यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो, वाद अथवा कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करता हो, या

(दो) आदेश, यदि बरकरार रहने की अनुमति दी गयी हो, उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी अथवा अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया था ।

(4) पुनरीक्षण, न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही के स्थगन के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय जहां ऐसा वाद या अन्य कार्यवाही, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी जाती है ।

स्पष्टीकरण–एक इस धारा में–

(एक) पद ''वरिष्ठ न्यायालय'' का तात्पर्य –

(क) जिला न्यायालय से है, जहां उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत मामले का मूल्यांकन पांच लाख रुपये से अनधिक हो;

(ख) उच्च न्यायालय से है, जहां पुनरीक्षण के लिए इप्सित आदेश जिला न्यायालय द्वारा पारित किया गया था या किसी मामले में मूल वाद का या अन्य कार्यवाहियों का मूल्य जो कि जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया था पांच लाख रुपये से अधिक हो ।

(दो) पद 'आदेश' के अन्तर्गत किसी मूल वाद में किसी वाद बिन्दु या अन्य कार्यवाही को विनिश्चित करने वाला आदेश है ।

स्पष्टीकरण–दो इस धारा के उपबन्ध इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् ऐसे मूल वादों या संस्थित अन्य कार्यवाहियों के प्रारम्भ के पूर्व पारित आदेश पर भी लागू होंगे ।''

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय गंगवार जी आप अपना संशोधन रखें ।

श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड–2

खण्ड 2 में शब्द तथा अंक ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,'' रख दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में शब्द तथा अंक ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है,'' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और संशोधित खण्ड–2 स्वीकृत हुआ)

खण्ड–3

संक्रमणकालीन उपबन्ध

3(1)–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी 1 जुलाई, 2002 को या पश्चात् दाखिल किसी पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश इस आधार पर कि पुनरीक्षण जिला न्यायालय में दाखिल किया जाना चाहिए था, आपत्ति या पुनर्विलोकन के लिए दायी नहीं होगा ।

(2) जिला न्यायालय में दाखिल किसी पुनरीक्षण में किसी मामले में जहां मूल वाद या कार्यवाही का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक न हो और इस अनुमान पर उसके द्वारा निर्णीत किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता(संशोधन) अधिनियम, 1999 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 115 के संशोधन के रहते हुए भी जिला न्यायालय में सही रूप से दाखिल किया गया समझा जायेगा और उस पर उसका निर्णय इस आधार पर आपत्ति योग्य नहीं होगा, और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से लम्बित ऐसा पुनरीक्षण, यदि कोई हो उस न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।

(3) यदि 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात्, जिला न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष मूल अधिनियम की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन दाखिल किया गया हो, जहां कि मूल वाद या कार्यवाही का मूल्य पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है और ऐसी याचिका इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित है, तो ऐसी याचिका जब तक कि उस पर बहस पूरी न हो गई हो और उच्च न्यायालय द्वारा केवल निर्णय सुनाया जाना शेष हो, सम्बन्धित जिला न्यायालय को अन्तरित हो जायेगी और उसे इस अधिनियम द्वारा यथा प्रति स्थापित धारा 115 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–4 (बढ़ाया गया खण्ड)

श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं :–

खण्ड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाये अर्थात्:–"4–(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के

अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।''

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय ?

''4–(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन)(द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और बढ़ा हुआ खण्ड–4 स्वीकृत हुआ)

खण्ड–1

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं :–

पार्श्वशीर्षक में शब्द ''और विस्तार'' के स्थान पर शब्द ''विस्तार और प्रारम्भ'' रख दिये जायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड –1 के पार्श्वशीर्षक में शब्द ''और विस्तार'' के स्थान पर शब्द **''विस्तार और प्रारम्भ''** रख दिये जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार–

मान्यवर, आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं :–

खण्ड–1 के उपखण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय ?

(3) यह 22 मार्च, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–1 के उप खण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जाय ?

"(3) यह 22 मार्च, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–2 , खण्ड–3 तथा बढ़ाया गया खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन)विधेयक, 2003 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई :–

निम्नलिखित मा० सदस्य की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई:–

1–डा० राम बाबू हरित प्रदेश में पी०सी०ओ० की दुकानों में बने केबिनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सामने अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईः–

2–श्री विद्यासागर गुप्ता	निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।
3–श्री राम इकबाल सिंह	नरहेजी इण्टर कालेज, नरही, बलिया के लिपिकों के बकाये एरियर का भुगतान न किये जाने एवं इस विषय में कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ।
4–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह''	जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी में राज्य योजना, जिला योजना, दीनदयाल योजना के फेज 4,5, 6 में अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में ।
5–श्री छोटे लाल वर्मा एवं डा० राम बाबू हरित	जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में ।
6–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की विकास मदों की विभिन्न योजनाओं में निर्गत धनराशि का सदुपयोग न किये जाने के सम्बन्ध में ।
7–श्री कैलाश चौरसिया	जनपद मिर्जापुर में शासी निकाय या विकास सम्बन्धी अन्य बैठकों में राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्षों के प्रस्तावों को शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

1–रमेशकान्त लवानिया	जनपद आगरा के खेरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
2–श्री सुरेश कुमार खन्ना	शाहजहांपुर नगर की खराब सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।
3–श्रीमती विद्या चौधरी	जनपद आजमगढ़ के मेहनगर में घिर्जीपुर, लोनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

प्रदेश में डेंगू और मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री भगवत शरण गंगवार)–

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में डेंगू तथा ....

एक सदस्य–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

[वक्तव्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।]

[मस्तिष्क ज्वर की महामारी जैसी कोई स्थिति नहीं है । सम्भावित मस्तिष्क ज्वर का प्रभाव पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी सभी "इन्डेमिक" जनपदों जैसे पूर्वांचल तथा तराई क्षेत्र के 15 जनपदों में हुआ था । वर्ष 2003 में दिनांक 10 नवम्बर तक 1027 सम्भावित मस्तिष्क ज्वर के रोगी होने की सूचना है । इस वर्ष इन्डेमिक जिलों के सभी जिला चिकित्सालयों, गोरखपुर मेडिकल कालेज तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निदान तथा उपचार की समुचित व्यवस्था की गयी है । सभी रोगियों का विशेषज्ञों देखरेख में निःशुल्क उपचार सुनिश्चित किया गया । यह उल्लेखनीय है कि इस रोग में 20 से 40 प्रतिशत रोगियों की मृत्यु रिपोर्ट है तथा उत्तर प्रदेश से इन जनपदों में भी 1027 में से विशेषज्ञ उपचार के बाद भी 212 की मृत्यु हो गयी ।

पूर्वांचल क्षेत्र के जनपदों में माह जून से तथा सितम्बर तक मच्छरों के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के दो चक्र पूर्ण कर लिए गये हैं ।

माह जून, 2003 में क्रियान्वित डेंगू एवं मस्तिष्क ज्वर नियंत्रण कार्य योजना के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा, विशेष वार्डों एवं उपचार केन्द्रों की व्यवस्था, रक्त की जांच एवं चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है । सभी स्तरों पर डेंगू का उपचार मैनेजमेंट प्रोटोकाल के अनुसार किया गया है । डेंगू से कुल 11 जनपदों में सर्वाधिक प्रभावित जनपद लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, तथा गाजियाबाद हैं, शेष जनपदों में छुटपुट रूप से रोगी हुए हैं । सभी चिकित्सालयों में रक्त की जांच, सीरोलाजिकल जांच, उपचार की निःशुल्क व्यवस्था है तथा सभी दावायें चिकित्सालय से उपलब्ध करायी जा रही है ।

एन्टी लारवल, फागिंग तथा स्प्रे का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है । मलिन बस्तियों, गरीब बस्तियों में छिड़काव का विशेष ध्यान रखा गया है । फागिंग एवं छिड़काव हेतु आवश्यक उपकरण एवं कीटनाशक सभी जनपदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । एवं उनकी गुणवत्ता स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों की देखरेख में सुनिश्चित की जाती है । फागिंग के पूर्व लाउडस्पीकर द्वारा खिड़की दरवाजे खुले रखने, खाद्य सामग्री को ढाक कर रखने के निर्देश विशेषतः दिये जा रहे हैं ।

डेंगू से बचाव के लिए क्या करें एवं क्या न करें के हैण्डबिल लखनऊ तथा प्रदेश के समस्त जिलों में वितरित किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं । राज्य स्तरीय एवं जनपद नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत है । जनपद मेरठ में डेंगू से मात्र 29 रोगी तथा एक मृतक हुआ है, स्थिति नियंत्रण में है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे मद संख्या–10 के बारे में पूछना है । मान्यवर. मेरठ नगर निगम द्वारा छोटे रिक्शे पर फागिंग मशीन रखकर फागिंग नहीं हो रही है । मैं चाहता हूं कि गलियों में फागिंग हो जाय ताकि मच्छरों पर नियंत्रण हो सके. सरकार ने इसके लिए क्या योजना बनायी है ?

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री भगवत शरण गंगवार–

मेरठ नगर में पांच फागिंग मशीनें हैं । दो छोटी और तीन बड़ी । दो छोटी मशीनों से रिक्शे पर फागिंग करायी जा रही है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, वहां पर सात मशीनें हैं । सरकार ने अपने उत्तर में बताया है कि फागिंग की जा रही है । मैं बताना चाहता हूं कि जब पहले फागिंग होती थी तो एनाउन्समेंट होता था कि खिड़की दरवाजे खुले रखें और खाने का सामान को ढक कर रखें । मान्यवर, वहां पर सड़कों पर फागिंग हो रही है । सरकार का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है और उत्तर सही नहीं दिया गया है । सरकार ने अधिकारियों का पृष्ठ-प्रेषण करके जो उन्होंने लिखकर भेजा है सही मान लिया है । मेरठ जनपद में मैं आंकड़े देखकर सिद्ध कर दूंगा कि यह सरकार का उत्तर ठीक नहीं है ।

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, पांच महीनों में से दो मशीनें रिक्शे पर रखकर गली-गली घूम रहे हैं और फागिंग कर रहे हैं । मेरे पास मेरठ की गलियों के नाम उपलब्ध हैं । जहां पर डेंगूं की जानकारी मिली है विभाग ने तुरन्त चिकित्साधिकारी को मौके पर भेजा है और जांच करवायी है । 29 प्रकरण सामने आये हैं जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आप कहते हैं कि पांच मशीनें हैं । मेरा कहना है कि सात मशीनें हैं । मैं साबित कर दूंगा तो गलत बयानी होगी ।

श्री भगवत शरण गंगवार–

वहां पर पांच मशीनें सही हैं । अगर वहा पर कोई कमी होगी और किसी की गलती होगी तो कार्यवाही की जायेगी ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में कितने डेंगूं के मरीजों का पता चला और सरकार ने वहां पर डेंगूं के रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री भगवत शरण गंगवार–

मान्यवर, ।। जनपदों में जो डेंगूं से प्रभावित है, जहां पर डेंगूं मरीज मिले तुरन्त उनको चिकित्सा सुविधा पहुंचायी गयी है । इलाहाबाद में डेंगूं के दो मरीज पाये गये और कोई मृत्यु नहीं हुई है । सरकार इस ओर गम्भीर है और फागिंग आदि की व्यवस्था की गयी है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, डेंगूं के परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालयों में क्या व्यवस्था है, कितने रुपये की किट आती है और उस किट से कितने रोगियों का परीक्षण होता है ? मान्यवर, प्लेट्स की व्यवस्था नगरों में नहीं है और गरीब की पहुंच से बाहर है और गरीब मरने के लिए मजबूर है ।

प्रदेश में गृह विभाग द्वारा सब इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति गृह जनपद से लगे जनपदों में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, शासन द्वारा पुलिस दल के कांस्टेबिलों...

एक सदस्य–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[हेट-कांस्टेबिलों, उप निरीक्षकों तथा निरीक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कतिपय दिशा निर्देश जारी करते हुए यह भी आदेश जारी किये गये हैं कि किसी भी निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक को उसके गृह परिक्षेत्र में तैनात न किया जाय । साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक को ऐसे जिले में न तैनात किया जाय, जो उसके गृह जनपद से सीमावर्ती हो ।

मा० सदस्य ने अपनी नोटिस में जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर के थानाध्यक्ष की तैनाती शासनादेशों के विपरीत हुई इंगित की है । इसका परीक्षण कराया जा रहा है ।]

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, हमारे जिले के बगल में 19 सितम्बर को जहर देकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी । मैंने 30 सितम्बर को पत्र लिखा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछने से पहले वक्तव्य देख लें । यह सब इंस्पेक्टरों की तैनाती का मामला है । आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं ।

जनपद बलिया के थाना उभाव के श्री प्रेम चौहान की हत्या से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर बिकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

पुलिस अधीक्षक बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री प्रेम चौहान.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[पुत्र श्री राम सकल चौहान थाना उभाँव की फरसाटांडा (बौल्डी) जनपद बलिया में दिनांक 19-9-2003 को हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में वादी श्री राम नारायण पुत्र स्व० राजकुमार सिंह, ग्राम बौल्डी थाना उभाव बलिया की तहरीर पर दिनांक 16-10-2003 को थाना उभाव पर अ०सं० 115/03 धारा 328, 304 भा०द०वि० बनाम राजेश प्रसाद, राम प्रकाश वर्मा, मो० परवेज सा० डोमनपुरा थाना

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सिकन्दरपुर बलिया पंजीकृत हुआ । इस अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष उभॉव श्री हरि प्रकाश विश्वकर्मा द्वारा की जा रही है । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतक की मृत्यु जहर खाने से होना पाया गया किन्तु विवेचना से अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक ने स्वयं जहर खाया है अथवा अभियुक्तों द्वारा जहर खिलाया गया है । इस अभियोग की अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में विवेचना प्रचलित है ।]

श्री राम इकबाल सिंह–

वहां पर जहर देकर हत्या की गयी और अब लीपापोती की जा रही है । डेढ़ महीने हो गये एफ०आई०आर० दर्ज किये हुए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मैंने जब पुलिस अधिकारी से कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दबाव है । आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । एक गरीब लड़के को जहर देकर मार दिया गया । इसकी सी०बी०सी०आई०डी० जांच करवा ली जाए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इसमें जहर खाने से मौत हुई है इतना तो तय है । अब यह तय होना है कि जहर खाया है या जहर खिलाया गया है । सी-बी०सी०आई०डी० को मामला देने से आम तौर पर टल जाता है । न्याय नहीं मिल पाता है । मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी तरह से मामले में लीपापोती नहीं की जाएगी । यह नहीं होगा कि जहर खिलाया गया हो और यह कह दिया जाए कि जहर खा लिया । अभी इसकी विवेचना जारी है । कोई आखिरी बात नहीं आयी है । मैं यह आश्वासन जरूर देता हूं कि इसमें न्याय होगा ।

श्री राम इकबाल सिंह–

इसमें तीन लोग पकड़कर चाय की दुकान पर ले गये और जहर खिला दिया ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी विवेचना चल रही है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

वहां सी०ओ० और एस०ओ० से मैं मिला हमें यह कहा गया कि इसमें ऊपर से दबाव है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी रिपोर्ट नहीं आयी है । अभी विवेचना चल रही है । अगर आप उससे मुतमईन हों तब दूसरी बात पर विचार किया जाएगा ।

श्री राम इकबाल सिंह–

इसमें जांच करने वाले असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा । अगर आप विवेचना से मुतमुईन नहीं होंगे तो दूसरी बात पर विचार कर लिया जाएगा ।

जनपद आगरा में मुकेश एवं अन्य लोगों की हत्या एवं लूटपाट की एफ०आई०आर० दर्ज न किये जाने एवं दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राम बाबू हरित आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

दिनांक 12-10-03 को थाना रकाबगंज क्षेत्रान्तर्गत स्थित मोहल्ला.....

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[काजी पाड़ा में मा० राज्य मंत्री चौधरी बशीर अपने समर्थक व्यास मिश्रों के निवास पर आयोजित सम्मान समारोह में गये थे जहां पर सायंकाल लगभग 17-45 बजे क्षेत्रीय जाटव समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा इस आयोजन का विरोध करते हुए नारेबाजी आदि की गयी । भीड़-भाड़ एकत्रित होने के कारण मा० मंत्री जी के समर्थक मुस्लिम समाज के व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे विरोध आदि को लेकर आपत्ति की गयी और दोनों पक्षों में तनाव हो गया तथा एक-दूसरे पर पथराव प्रारम्भ कर दिया गया और कुछ हवाई फायर किये गये । घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गये और स्थिति को नियंत्रित किया गया । इसी घटना क्रम में दिनांक 13-10-2003 को प्रातः 10 बजे दोनों पक्षों में पथराव व आगजनी की घटना हुई जिसमें मुकेश पुत्र मदन लाल निवासी तमोलीपाड़ा थाना मण्टोला की जलकर मृत्यु हो गयी । प्रशासन द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को नियंत्रित किया गया तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु क्षेत्र के थाना रकाबगंज एवं मण्टोला क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया और लगभग 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । इसके पश्चात् सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से धारा 144 लागू की गयी । स्थिति सामान्य होने पर दिनांक 16-10-2003 से कर्फ्यू में ढील देना प्रारम्भ किया गया और स्थिति शीघ्र ही नियंत्रित व सामान्य कर ली गयी । फलस्वरूप जनपद में दिनांक 24-10-2003 से 27-10-2003 तक दीपावली का त्योहार शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ । वर्तमान में स्थिति सामान्य है ।

मुकेश की मृत्यु के सम्बन्ध में थाना मण्टोला पर मु०अ०सं०–78/2003 धारा 147/302/396/436/459 भा०द०वि० एवं 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट बनाम नूर आलम के लड़के आदि के विरुद्ध दिनांक 13-10-2003 को पंजीकृत किया जा चुका है । जिसमें दो अभियुक्तों का दिनांक 16-10-2003 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं मृतक की पत्नी श्रीमती संगीता को रुपये 75,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वीरू पुत्र कलुआ राम निवासी छोटी अलवलिया थाना जगदीशपुरा के दिनांक 13-10-2003 से गायब होने के सम्बन्ध में थाना मण्डोला पर मु०अ०सं०–78टी/03, धारा 364 भा०द०वि० एवं 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट दिनांक 31-10-03 को वादी श्री दीवान सिंह पुत्र कलुआ राम जाटव द्वारा 8-10 अज्ञात मुस्लिम व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है ।

दिनांक 14-10-03 को थाना सदर बाजार क्षेत्र में कमल सिंह पुत्र बाबू लाल जाटव नि० गोपालपुरा की मृत्यु हुई थी, जिसके शव का पोस्टमार्टम थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा दिनांक 14-10-03 को ही कराया गया था । पोस्टमार्टम से मृतक कमल सिंह की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक द्वारा मृतक का विसरा संरक्षित किया गया जिसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला दाखिल कराया गया है, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट अपेक्षित है । इसी सम्बन्ध में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी से विधिक राय भी प्राप्त की जा रही है । विसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने एवं विधिक राय के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

जागेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह, हजारी पुत्र लक्ष्मी नरायन, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र तेज सिंह आदि के कारखाना, मकान प्रतिष्ठान जलाने अथवा अन्य क्षति होने के सम्बन्ध में थाना मण्टोला व रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं । पीड़ितों की हुई क्षति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्तर से आंकलन कर कार्यवाही प्रचलित है । इसके अतिरिक्त पंजीकृत अभियोगों की विवेचनायें स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्षता एवं तत्परता से की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रकरण के सम्बन्ध में विभिन्न थानों पर अब तक 54 अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं । कुल 303 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है, जिसमें 263 हिन्दू व 40 मुस्लिम व्यक्ति हैं । घटना के सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों द्वारा अभियोग पंजीकरण हेतु जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे उन पर अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं । यदि अन्य कोई प्रार्थना-पत्र घटना के सम्बन्ध में प्राप्त होंगे तो उन पर तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जायेगी ।

प्रशासन के संज्ञान में इस प्रकार के कोई तथ्य नहीं हैं कि कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों टोला नन्दराम, ढोलोखार व काजीपाड़ा में मा० राज्य मंत्री चौधरी बशीर को पब्लिक मीटिंग करने दी गयी । कर्फ्यू की अवधि में मा० राज्य मंत्री अथवा अन्य किसी का भ्रमण इन क्षेत्रों में नहीं हुआ, न ही निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया । बल्कि जो शरारती तत्व मौके पर पकड़े गये उनकी तत्समय गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी थी ।

वर्तमान में नगर आगरा में पूर्ण रूप से शान्ति है और जन-जीवन सामान्य है । शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से 10 अस्थायी पुलिस चौकियाँ स्थापित की गयी हैं, जिन पर जनपद के अन्य थानों से पुलिस बल नियुक्त किया गया है । इसके अन्तर्गत 06पुलिस चौकी थाना मण्टोला, 02 पुलिस चौकी थाना रकाबगंज, एक-एक पुलिस चौकी थाना सदर बाजार व ताजगंज में स्थापित की गयी हैं तथा निरन्तर सतर्कता रखी जा रही है ।]

डा० राम बाबू हरित–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि यह जो नियम– 51 की सूचना पर वक्तव्य दिया गया है यह 75 प्रतिशत झूठा है । इसकी चाहे सर्वदलीय समिति से करवा लें या न्यायिक जांच करवा ली जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

न्यायिक जांच की इसमें आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर गलत उत्तर दिया गया है तो लिखकर दे दें । उसकी एक प्रक्रिया है ।

डा० राम बाबू हरित–

सदन के सदस्यों से सर्वदलीय जांच करवा लें ।

श्री मो० आजम खां–

इसमें सरकार कार्यवाही करने में सक्षम है । सरकार न्यायोचित कार्यवाही करेगी ।

शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट के बीचो-बीच टापू का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

खाद्य प्रसंकरण एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (चौधरी बाबूलाल)–

मा० सदस्य द्वारा नियम 51 .....

(वक्तव्य खाद्य प्रसंकरण एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[..... के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि शाहजहांपुर में विसरात घाट के बीचो-बीच टापू का पुनर्निर्माण तथा आसपास के क्षेत्र की मरम्मत हेतु धन स्वीकृत है, टेण्डर की प्रक्रिया भी हो रही है तथा अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से तथा जनहित में टापू का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य अत्यन्त आवश्यक है इसलिए लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर टापू के पुनर्निर्माण की मांग बाढ़ नियंत्रण हेतु की गयी है ।

उक्त के सम्बन्ध में विभाग के प्राप्त सूचना के अनुसार खान्नौत नदी पर नदी की धारा, विश्राम घाट की ओर से प्रवाहित करने हेतु खन्नौत नदी पर वर्ष 1975 में 39 मीटर बांध का निर्माण कराया गया था । कालान्तर में शनैः-शनैः यह बांध क्षतिग्रस्त होता गया और समाप्त हो गया । इस बांध को पुनर्स्थापित करने हेतु लागत रु० 11.78 लाख की योजना की स्वीकृति जून, 2003 में अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर द्वारा प्रदान की गयी है । प्रश्नगत कार्य हेतु रु० 9.96 लाख की धनराशि का आवंटन कर दिया गया है । वर्षाकाल में नदी में जल होने के कारण इसका कार्य सितम्बर,

---

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2003 तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । वर्षाकाल समाप्त होने के तत्काल पश्चात् अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, प्रखण्ड, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2003 द्वारा अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गयी, जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2003 को प्राप्त कर खोली जानी थी, परन्तु उक्त तिथि में किसी भी ठेकेदार से निविदा प्राप्त नहीं हुई । कार्य की प्राथमिकता को देखते हुए उपरोक्त कार्य के लिए पुनः निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं । चूंकि धनराशि का आवंटन किया जा चुका है, अतः यह कार्य वित्तीय वर्ष 2003-04 में पूर्ण करा लिया जायेगा ।]

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । 4 दिसम्बर, 2003 को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 55 मिनट पर गुरुवार दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 14 नवम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 389 विधान सभा (687)–2004–813 प्रतियां(डी०टी०पी०) ।